राजस्थान विधान सभा

तृतीय बैठक, दिनांक ४ सितम्बर, १९५२

सदन का कार्य प्रातः ८ बजकर ३५ मिनट पर प्रारम्भ हुआ

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ३३

श्री सरदारसिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) आबू एरिया जो सिरोही से ब्रिटिश सरकार को लीज़ में दिया गया था, वही बम्बई को दिया गया है या क्या ?

(२) अगर और मिला कर दिया गया तो क्या क्या और किस आधार पर तथा उसकी क्या सीमा है ?

(३) क्या यह सत्य है कि आबू का मामला किसी बाउण्ड्री कमीशन के सुपुर्द किया गया है ? अगर सत्य है तो उसमें कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित हैं और राजस्थान की ओर से उसमें कौन कौन व्यक्ति हैं ?

(४) गत साल जो रिजोल्यूशन आबू राजस्थान को वापस करने के संबंध में पास किया जाकर सैंट्रल गवर्नमेंण्ट को प्रेषित किया गया था उसमें क्या कार्यवाही की जा रही है और वह मामला किस स्टेज पर है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—१. आबू का वह क्षेत्र जो ब्रिटिश गवर्नमेन्ट को लीज पर दिया हुआ था, भूतपूर्व सिरोही रियासत के कुछ अन्य भागों के साथ बम्बई में मिला दिया गया है ।

२. स्टेट्स मर्जर (बॉम्बे) आर्डर १९५०, दिनांक २५ जनवरी, १९५० के अन्तर्गत वह क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित गांव सम्मिलित हैं बम्बई में मिला दिया गया :

१. आबू रोड
२. केसरगंज
३. आकरा
४. मानपुर
५. संतपुर
६. गानका

[श्री जयनारायण व्यास]

७. खादत
८. उमरली
९. कुत्री
१०. संवा
११. सांगना
१२. पंडुरी
१३. मावल
१४. रेडवा मोटा
१५. दोना काकर
१६. दान वाव
१७. मुदरला
१८. कियारा
१९. कियारिया
२०. खारा
२१. भेसासेत
२२. अम्बा
२३. मूंगथला
२४. मीरगढ
२५. अदालिया
२६. आवल
२७. चन्देला
२८. गिरवर
२९. बगेरी
३०. रेडवा छोटा
३१. बहादुरपुरा
३२. छयार
३३. तलवरानका नाका
३४. अम्बावेरी
३५. माह्रीखेडा
३६. फतेहपुरा
३७. चोटिला
३८. रोखाडा
३९. मूलिया महादेव
४०. वन चोटिला

[redacted]

Page No.3

[श्री जयनारायण व्यास]

४१. चन्द्रावती
४२. ऊपली बोर
४३. ऊपला गढ
४४. ऊपला खेजडा
४५. कियारिया
४६. टोकिया
४७. बेरी
४८. जम्बूडी
४९. जयदारा
५०. तलेटी
५१. डोटरा
५२. नीचला गढ
५३. नीचली बोर
५४. नीचला खेजडा
५५. पावा
५६. बूजा
५७. बोरीबुज
५८. बोसा
५९. घमारिया
६०. मेन
६१. रनोरी
६२. राडा

अभी और बाकी हैं साहब ।

श्री अध्यक्ष—No body is interested.

श्री हिम्मतसिंह—यदि (उत्तर) लम्बा है तो टेबिल पर रख दिया जावे ।

श्री जयनारायण व्यास—८६ तो नाम हैं ऐसे ही बता देता हूं ।

६३. सूरपानला
६४. आमथला
६५. ओड
६६. करोली
६७. कीवारली

[श्री जयनारायण व्यास]

६८. टंका

६९. देरना

७०. तारटोली

७१. वसाडा

७२. मोरथला

७३. देलदार (जागीर)

७४. देलदार (देवस्थान)

७५. आरना

७६. ओरिया

७७. गोबागम

७८. जवाई

७९. घूंघाई

८०. तोरना

८१. देलवाडा

८२. सलगम

८३. अचलगढ

८४. मासगाम

८५. सानी गाम

८६. हेतमजी

८७. ब्लॉक नम्बर १ (इसमें मास गांव तथा वह भाग सम्मिलित नहीं हैं जो बादरपुरा, फतेहपुरा मलियाखेड़ा की पश्चिमी सीमा से ब्लॉक नम्बर ३ के दक्षिण पश्चिमी बिन्दु को मिलाने वाली रेखा के पश्चिम में स्थित है)

८८. ग्राबू रोड के दक्षिण में ब्लॉक नम्बर २ का भाग

८९. उत्रज गांव पैमाइश संख्या ७७१ से ७८५

यह किस आधार पर किया गया इस विषय में राजस्थान सरकार को कोई जानकारी नहीं है सिवाय इसके कि इस सरकार ने ऐसे किसी आधार को अपनी मान्यता नहीं दी।

३. इस सरकार की जानकारी में कोई सीमा कमीशन नहीं नियुक्त किया गया है। अतः शेष प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती।

४. राजस्थान विधान सभा द्वारा २२ अप्रेल १९५२ को स्वीकृत प्रस्ताव के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिये सारे राजस्थान के चुने हुए विद्वानों का एक सम्मेलन ८ सितम्बर १९५२ को बुलाया गया था जिसमें आबू के राजस्थान में पुनः लौटाने के प्रश्न में सभी पहलुओं पर विचार किया गया। उक्त सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव की प्रतिलिपि सभा के समक्ष प्रस्तुत है। इस प्रस्ताव के अनुसार तत्संबंधी ऐतिहासिक, प्रजातान्त्रिक, सांस्कृतिक तथा अन्य प्रकार की सामग्री संकलन करने का कार्य राजस्थान

Page No.5

[श्री जयनारायण व्यास]

पुरातत्व मंदिर को सौंपा गया जिसके तत्वावधान में विद्वानों की एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष मुनि जिनविजयजी हैं जो पुरातत्व मंदिर के संचालक हैं। सरकार ने पुरातत्व मंदिर को ६५००) रु० की राशि इस कार्य में सहायता देने के लिये स्वीकृत की। समिति का कार्य समाप्त हो चुका है और वह अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही देने वाली है।

श्री सरदारसिंह—केन्द्रीय सरकार ने जो इस प्रश्न को हाथ में लिया है तो वहां मामला किस स्टेज पर है, इसका उत्तर नहीं दिया गया।

श्री जयनारायण व्यास—केन्द्रीय सरकार से कोई उत्तर हमारे पास नहीं आया इसके लिये राजस्थान सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती।

श्री सरदारसिंह—तो क्या इसके लिये रिमाइन्डर किया जा रहा है?

श्री जयनारायण व्यास—बराबर किया जा रहा है और सरकार का उत्तर भी आ चुका है कि मामला विचाराधीन है, पर इससे किसी स्टेज का पता नहीं चलता।

श्री सरदारसिंह—क्या यह सही है कि बम्बई सरकार से केन्द्रीय सरकार को उत्तर भेज दिया गया है?

श्री जयनारायण व्यास—यह प्रश्न बम्बई सरकार की लेजिस्लेटिव असेम्बली में किया जावे तो अधिक उपयुक्त होगा।

श्री हिम्मतसिंह—क्या हमारी सरकार की यह जानने की इच्छा नहीं है?

श्री जयनारायण व्यास—हमें उचित नहीं मालूम पड़ता है कि हम इस प्रकार का कोई पत्र व्यवहार बम्बई सरकार से करें।

प्रश्न संख्या ३४

श्री सरदारसिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान की कोवेनेंण्टिग स्टेट्स के कितने कितने मकानात आबू में हैं?

(२) उनमें से किन किन के कितने कितने मकानात राजस्थान सरकार को दे दिये गये और अब कितने और मिलने वाले हैं?

(३) क्या इन मकानातों में से कुछ सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट के कब्जे में हैं? अगर हैं तो उनकी संख्या क्या है और उनका क्या किराया आता है?

(४) [illegible] के संबंध में क्या हैं?

[श्री सरदारसिंह]

(५) यदि रखना चाहती है तो सरकार वहां समर केपिटल बनाने के संबंध में क्या खयाल रखती है ?

(६) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कमेटी बनाई है ? अगर बनाई है तो इस कमेटी के सदस्य कौन कौन : ?

श्री जयनारायण व्यास (मख्य मंत्री)—(१) २० मकान और ! प्लाट ।

(२) इनमें से जो मकान राजाओं की निजी संपत्ति की सूची में सम्मिलित किये गये हैं एवं जो मकान सरकार के खाते में हैं और सरकारी संपत्ति हैं उनकी एक सूची सभा के समक्ष प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(३) इनमें से कोई भी मकान केन्द्रीय सरकार के अधिकार में नहीं है।

(४) एवं (५) सरकार ने तमाम सम्पत्ति को जो कि उनकी आवश्यकता से अधिक है बेचने का निश्चय कर लिया है और इसके हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति नियुक्त करदी है:—

१. श्री पुरुषोत्तम दास पुरोहित,

२. श्री हनुमान सहाय रावत, मुन्सरिम, पुरेजात,

३. श्री सी. बी. देसाई, एग्जिक्युटिव इन्जिनीयर, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट। इस समिति ने इन मकानों का निरीक्षण कर लिया है और इस बारे में अपने सुझाव सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर देगी।

राज श्री हिम्मतसिंह—क्या इसका मतलब यह समझा जावे कि राजस्थान सरकार आबू से अपना हाथ उठा रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—इसका मतलब यह समझा जावे कि राजस्थान सरकार आबू या अन्य स्थानों पर जो फालतू मकान हैं उन पर चौकीदारी या दूसरी तरह का खर्चा रखना नहीं चाहती ।

श्री खेतसिंह—बीस मकान जो सरकार के अधिकार में हैं उनमें क्या सरकारी दफ्तर हैं या वे बन्द पड़े हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—इन मकानों में कभी कभी कोई सरकारी व्यक्ति जाते हैं तो ठहरते हैं और इसका उपयोग करते हैं और ज्यादातर मकान तो काम में नहीं आते हैं।

श्री कानसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि बम्बई सरकार के मकान आबू में कितने हैं ?

श्री जयनारायण व्यास--यह प्रश्न बम्बई सरकार की विधान सभा में पूछा जाय तो जवाब मिल सकता है ।

श्री कानसिंह--आबू के पास जितने कस्बे हैं उनमें राजस्थान की प्रोपर्टी (सम्पत्ति) ज्यादा है या बम्बई सरकार की ?

श्री जयनारायण व्यास--यह प्रश्न नहीं पैदा होता ?

श्री भैरूसिंह (भंसवाडा)--क्या इनमें बेगम सहिद्धनिसा का भी मकान है ?

श्री जयनारायण व्यास--यह बेगम साहिबा से दर्याफ्त किया जाता तो अच्छा था ।

प्रश्न संख्या ३५

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या पुनः संस्थापन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(अ) मई १९५३ से आज तक कितने शरणार्थियों को जिला गंगानगर में (मुसलमानों वाली) भूमि अलाट हुई ?

(ब) कितने शणार्थियों की भूमि केन्सिल हुई ?

(स) जिनको भूमि अलाट हुई है उनमें से कितने कुटुम्ब ऐसे हैं जिनकी पाकिस्तान में भूमि नहीं थी ?

(ड) उनमें हरिजन कितने थे और हरिजनों में से चमार कितने थे ?

(इ) जिन शरणार्थियों को मुसलमानों वाली जमीन अलाट हुई और केन्सिल भी हुई उनमें हरिजन कितने थे और हरिजनों में से चमार कितने थे ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनःसंस्थापन मंत्री)--माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का उत्तर अगली टर्न तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जावे तो अच्छा रहेगा ।

प्रश्न संख्या ३६, ३७ तथा ३८

श्री भैरूसिंह--माननीय अध्यक्ष, श्री एच. के व्यास ने मेरे पास सूचना भेजी है कि अगर स्पीकर साहब इजाजत दें तो उनकी जगह में उनके प्रश्नों को पूछ लूं ।

श्री अध्यक्ष--मेरे पास भी लिखकर भेज सकते थे । मैं आपको आज्ञा नहीं देता ।

श्री भैरूसिंह--कल जब उनसे मिलने गया था उस समय उन्होंने जबानी कहा था ।

श्री अध्यक्ष--मैं आपको आज्ञा नहीं देता ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

Page No.8

प्रश्न संख्या ३९

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या पुनः संस्थापन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) गांव जलूका त० पदमपुर, जिला गंगानगर के मुसलमान जो कि पाकिस्तान नहीं गए, उनकी भूमि निकासी सम्पत्ति (इवेक्यू प्रोपर्टी) क्यों घोषित की गई ?

(ख) जब कि उनकी जमीन निकासी सम्पत्ति घोषित की गई तो उनका करीब रु० ३५,०००) जो मेसर्स विश्वामित्र गौरीशंकर मंडी पदमपुर की दुकान पर जमा था कस्टोडियन द्वारा क्यों वसूल नहीं किया गया ?

श्री अमृतलाल यादव (पुन-संस्थापन मंत्री)—(क) गांव जलूका तहसील पदमपुरा के जो मुसलमान पाकिस्तान चले गये उनकी ही भूमि नियमानुसार निष्क्रांत संपत्ति घोषित की गई है। मेसर्स विश्वामित्र गोरीशंकर के यहां इनका जो रुपया जमा है वह ३५,००० नहीं बल्कि ३१,५७३ है उसको निष्क्रांत सम्पत्ति घोषित किया जा चुका है। और उसकी वसूली की कार्यवाही जारी है।

(ख) ता० १७–८–५३ को निष्कांत संपत्ति घोषित की गई थी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार के पास कोई सूचना ऐसी आई है कि वह सम्पत्ति अब तक निष्क्रांत सम्पत्ति घोषित नहीं हुई है ?

श्री अमृतलाल यादव—ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जब उनकी सम्पत्ति हासिल करली गई है तो जो रुपया उनका विश्वामित्र गौरीशंकर मंडी पदमपुर की दुकान पर जमा था वह रुपया आज तक वसूल क्यों नहीं किया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने जवाब में अर्ज कर दिया है कि जब उसे निष्क्रांत सम्पत्ति घोषित कर दिया गया है तो उस रुपये की वसूली की कार्यवाही जारी है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि १७-८-५३ को निष्क्रांत सम्पत्ति घोषित किया गया था।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—अब तक कितनी रकम वसूल हुई है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह अलग सवाल है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जब वसूली जारी है तो उसमें से कितना रुपया वसूल हो चुका है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह सूचना अब तक मेरे पास नहीं आई है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—तो इससे क्या यह समझा जाय कि कोई रकम वसूल नहीं हुई है ?

श्री अमृतलाल यादव—मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता।

(प्रश्नोत्तर संख्या ४० के लिए परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष—प्रश्नों का समय अब समाप्त हुआ ।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचना दूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने निम्नलिखित अवधि-काल तक के लिए विधान-सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की प्रार्थना की है ।

श्री रावल संग्रामसिंह	२ सितम्बर से विधान सभा की पूरी बैठकों तक ।
श्री रिद्धिचन्द पालीवाल	२ से ८ [illegible] के लिए ।
श्री हिम्मतसिंह (डि० सं० ३०)	२ [illegible] तक ।

क्या सदन की यह अनुमति है कि इन सदस्यों को अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

जयपुर में हड़ताल इत्यादि के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव

मेरे पास दो स्थगन प्रस्ताव आये हैं जिनको मैं सदन के सदस्यों के सामने पढ़ देता हूं; एक है श्री मक्तिलाल मोदी का—

"That this House do now adjourn to discuss the grave situation arising out of the arbitrary and undemocratic action of the Government in superseding the Municipal Committee, Jaipur."

दूसरा स्थगन प्रस्ताव निम्न प्रकार है:—

"That this House do now adjourn to discuss the grave situation arising out of the arbitrary and undemocratic action of the Government in setting aside the unanimous decision taken by the Municipal Council, Jaipur, on the 3rd September 1953 in connection with the suspension of the newly imposed Octroi Duty."

यह श्री भैरूंसिंह डिविजन नं० १६ का है ।

श्री अध्यक्ष—Has the Leader of the House received a copy?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—I did not receive any copy.

श्री अध्यक्ष—मैं सदन का ध्यान परसों के स्थगन प्रस्ताव की ओर, जिसको मैंने स्वीकृत किया था उस ओर आकर्षित करता हूं । म्युनिसिपैलिटी स्थगित हो या म्युनिसिपैलिटी कोई प्रस्ताव पास करे, वह कोई ऐसा अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेन्स का कार्य नहीं है जिसके लिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जा सके । हो सकता है कि कुछ लोग इसको अहमियत प्रदान करें किन्तु जितना बड़ा हमारा प्रान्त है उसको देखते हुए कितनी ही म्युनिसिपैलिटियां सुपरसीड होती हैं और कितने ही म्युनिसिपैलिटी के प्रस्ताव हैं जो पास होते हैं और उनके प्रति गवर्नमेंट एक्शन लेती है । तो जो स्थिति हमारे सामने है वह यह है कि सार्वजनिक जीवन के विषय में जो असुविधा हुई उसके लिये परसों हमने स्थगन-प्रस्ताव

Page No.10

[श्री अध्यक्ष]

स्वीकार करके, इस सदन की कार्यवाही स्थगित करके उस पर काफी वाद-विवाद किया और मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं कि उसी विषय को दुबारा इस सदन के सामने लाया जाय और इस सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय। इस विषय में कोई वक्तव्य या स्पष्टीकरण संबंधित मंत्री महोदय देना चाहें तो दे सकते हैं। दोनों स्थगन प्रस्तावों को मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री भैरोंसिंह (वि.सं.१६)—माननीय अध्यक्ष, यदि मुझे इजाजत दी जाय....

श्री अध्यक्ष—No, I do not allow discussion over this.

श्री भैरोंसिंह (वि.सं.१६)—माननीय मंत्री महोदय कुछ कहेंगे उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। उसके बाद यदि माननीय मंत्री महोदय कुछ स्पष्टीकरण करेंगे तो सारा का सारा स्पष्टीकरण हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—That will be entering into discussion. (यह तो वाद-विवाद में पड़ना हुआ) उस पर तो काफी बहस हो चुकी है।

श्री भैरोंसिंह—इन पोइन्टस पर वाद-विवाद नहीं हुआ है। वह हड़ताल के संबंध में हुआ था।

श्री अध्यक्ष—मैं इन पोइन्टस पर डिस्कशन की आवश्यकता नहीं समझता, जिनके लिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय। सुपरसेशन (Supersession) के लिये या युनेनिमस (एक मत) म्युनिसिपैलिटी के रिजोल्यूशन (संकल्प) को गवर्नमेण्ट ने नहीं माना। इन पोइन्ट्स की आवश्यकता मैं नहीं समझता कि इनके लिये स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय। हां, इन पर मिनिस्टर महोदय यदि कुछ कहना चाहें तो मैं उनको इजाजत दे सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—डिस्कशन के लिये मैं कोई इजाजत नहीं चाहता, पोइन्टस क्लियर करने के लिये कहता हूं। यह पोइन्ट परसों वाले पोइन्टस से बिल्कुल अलहदा है।

श्री अध्यक्ष—वह बिल्कुल अलहदा है, यह मैं भी मानता हूं; लेकिन उसकी कोई पब्लिक इम्पॉर्टेंस नहीं है, वह आम पब्लिक के लिये इम्पार्टेंस का नहीं है। इसलिये मैं उनको स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह—जयपुर शहर की पब्लिक उसकी आवश्यकता को महसूस करती है तथा जयपुर के प्रतिनिधि उसकी आवश्यकता को महसूस करते हैं कि वह पब्लिक इम्पोर्टेंस का है।

श्री अध्यक्ष (श्री रामकरण जोशी से)—आप वक्तव्य अभी देंगे या थोड़ी देर से।

श्री रामकरण जोशी—मैं थोड़ी देर के बाद में इसका स्पष्टीकरण दूंगा।

विधान कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १६५३

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Sir, I beg to move "that a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the services of the year ending the 31st March, 1953 be taken into consideration."

श्री संतोषसिंह—I think March, 1954.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—March, 1954 ; I am sorry.

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

"दिनांक ३१ मार्च, १९५४, को समाप्त होने वाले वर्ष के हेतु, राज्य की संचित निधि में से निष्कृति (पेमेन्ट) को प्राधिकृत (आथोराइज) करने वाला तथा उसमें से कुछ और रकमों का विनियोग (एप्रोप्रियेशन) करने वाला विधेयक विचारार्थ लिया जावे" ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

श्री जयनारायण व्यास—Sir, I beg to move that the Bill be passed.

मैं इस विषय में कोई विशेष व्याख्यान नहीं देना चाहता, लेकिन एक मिनिट में इस बिल का जो सम टोटल है वह बता दूं ताकि माननीय सदस्यों को फिर कोई एतराज नहीं हो। वैसे जो अलग अलग मद हैं उन पर काफी बहस की जा चुकी है। उसका सम टोटल (sum-total) यह है कि हमने कॉन्टिन्जेन्सीज (Contingencies) में से ५०,४०,०००) रु० की जो मांग की है, जिसमें से ४०,०००) रु० शिक्षा के लिये, १०,००,०००) रु० दुष्काल के लिये और ३९ लाख रुपये लोन्स एण्ड एडवान्सेज (Loans and Advances) के लिये किये हैं। दूसरी मद के बारे में दर्ज करने की सम्मति मांगी है, वह ४,१६,५००) रु० के लिये है जिसमें शिक्षा के लिये ३४,५००) रु० कृषि के लिये ३,३७,०००) रु० सिविल वर्क्स के लिये ४५,०००) रुपये और इरिगेशन (Irrigation.) के लिये १,००,०००) रु०इस तरह से कुल जो रकम होतीहै, जिसकी मांग पेश की गई है वह ५४,५६,५००) रुपये की होती है। इतना ही में स्पष्टीकरण करता हूं और बहस के बीच में जो बातें आयेंगी वे भी कहूंगा ।

श्री राज हिम्मतसिंह (वि० सं० ६१)—क्या फिगर्स कुछ रद्दोबदल हो गये हैं? एज्युकेशन के लिये जो ३४,५००) रुपये बताये हैं उसके लिये मेरा ऐसा खयाल है कि वह ७४,५००) रुपये हैं।

श्री जयनारायण व्यास—मैंने दोनों जगह एज्युकेशन के विषय में कहा है। कुछ कॉन्टिन्जेन्सी है और कुछ बाद में ।

Page No.12

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष.......

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—में तो सोच रहा था कि कोई बोलने वाला नहीं रहा। में इस बिल को पास करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला था कि इसे पास किया जावे।

श्री गोपीलाल यादव—मैं सिर्फ एक ही बात आपसे पूछना चाहता हूं कि एप्रोप्रियेशन बिल्स की जो एकाउन्ट्स रिपोर्ट सन् १९५०-१९५१ की हमारे पास है उसमें......

श्री अध्यक्ष—That is another question which has got no relation with the present Bill.

श्री गोपीलाल यादव—एप्रोप्रियेशन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि गवर्नमेंट का पिछले सालों में कोई कण्ट्रोल नहीं था, एकाउन्ट्स पर। तो एप्रोप्रियेशन बिल के मुताबिक खर्चा नहीं हुआ जो कि पहले पास किया गया था और जो लोन्स एण्ड एडवान्सेज दिये गये हैं उनको रिकवर नहीं किया गया है तो आगे के लिये वह ठीक कर लिया गया है या वही ढंग चल रहा है?

श्री अध्यक्ष—एप्राप्रियेशन बिल जो इस वक्त कन्सीडरेशन के लिये है उस पर कुछ कहना चाहते हैं?

श्री गोपीलाल यादव—नहीं।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—तो फिर मैं यह प्रार्थना करूंगा कि यह बिल पास कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि एप्रोप्रियेशन बिल पास कर दिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

(श्री गोपीलाल यादव से)

Now do you want to put the question?

श्री गोपीलाल यादव—मैं श्रीमान् प्रधान मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं ..

श्री अध्यक्ष—You put a short notice question and reply will come.

श्री गोपीलाल यादव—This is concerned with the Appropriation Accounts.

श्री अध्यक्ष—But he might take time for that. So you might prepare a short notice question.

—

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन का आनियमन करने के हेतु नियम बनाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—Motion for framing rules for regulating the procedure of the Assembly. Shri H.K. Vyas.

(अनुपस्थित)

अन्य विचारार्थ विधेयक

राजस्थान उत्पाद भाटक नियामक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—Sir, I beg to move that a Bill further to amend the Rajasthan Produce Rents Regulating Amendment Act, 1951, as reported by the Select Committee, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

No body has stood to catch my eye to discuss the principles of the Bill.

(विराम)

So I take that the principles are accepted by the House.

(विराम)

Now the question is that the Bill be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

(विराम)

We now proceed to consider the Bill clause-by-clause.

खण्ड २

We take Clause 2 as moved. There is an amendment by Shri Sohanlal Bhatnagar which reads as follows :—

"After the words 'shall be inserted' occurring in third line, the following new words be added: 'and shall be deemed always to have been inserted'."

(विराम)

Yes. Shri Bhatnagar.

श्री जवानसिंह—We have not received a copy of the amendment.

Page No.14

श्री अध्यक्ष—If the Hon'ble Members so want I will reject this, because they were received only yesterday.

श्री जवानसिंह—I object to it.

श्री अध्यक्ष—They are very minor.

श्री जवानसिंह—Still the objection is there.

श्री अध्यक्ष—There are two amendments by Shri Bhatnagar and the are regarding Clause 2 and 4-A. Since objection has been taken to their being moved, I reject them.

श्री जवानसिंह—There is one amendment by me also, Sir.

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री जवानसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेण्डमेण्ट जो क्लॉज २ में पेश किया गया है वह इस प्रकार है:—

"In clause 2, proposed section 4-A (Explanation), the words 'on the request of a tenant' be inserted between the words 'area' and 'is' in the second line."

यह बिल जो सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें इस चीज का प्रोविजन नहीं दिया गया है कि अगर काश्तकार और किसी लैंड होल्डर के बीच में झगड़ा हो, जैसा कि अमूमन हुआ करता है, तो भी काश्तकार को चाहिये कि जब उसका धान फसल पकने के बाद खलिहान में इकट्ठा हो जाय तो वह जाकर लैंड होल्डर को कहे कि धान इकट्ठा हो गया है, आप अपना हिस्सा लेने के लिये आइये। उस वक्त यदि लैंड होल्डर लाटा करने नहीं आता है, उसके लिये कई वजूहात भी हो सकते हैं, तो उस वक्त किसानों को परेशानी हो जाती है। लैंड होल्डर यदि अपना हिस्सा समय पर लेने नहीं आता है तो केवल उसका ही हिस्सा खराब नहीं होता है बल्कि टिनेन्ट का हिस्सा भी खराब हो जाता है। इस चीज को हल करने के लिये यह एमेण्डमेण्ट रखा गया है। जहां तक पूरे बिल का संबंध है, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन जैसा कि मैंने अमेण्डमेण्ट पेश किया है, मैं उस मुश्किलात को हल करने में थोड़ी मदद देना चाहता हूं और वह इस प्रकार है कि यदि खलिहान में काश्तकार की तमाम उपज इकट्ठी हो जाती है तब आपने बताया है कि कई जगह जिस तरह के कस्टम्स हैं उसी तरह से लाटे किये जायेंगे। लेकिन जिस झगड़े की बुनियाद को उठाने के लिये जिस बिल को पेश किया गया है उसमें किस किस तरह के झगड़े पैदा हो सकते हैं यह यदि प्रिज्यूम (Presume) करते तो अच्छा रहता। मैं इस बारे में यह प्रिज्यूम करता हूं कि यदि काश्तकार और लैण्ड होल्डर के बीच के संबंध अच्छे नहीं हैं या ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो यह भी सवाल सामने आयगा कि आया काश्तकार ने लैण्ड ओनर को यह खबर दी कि नहीं कि खलिहान में धान आ गया है, आप जाकर हिस्सा ले लें। इस चीज को हल करने के लिये मैंने यह रखा है कि काश्तकार के लिये यह लाजमी कर दिया जाय कि वह लैण्ड

Page No.15

[श्री जवानसिंह]

ओनर को इस बात की जाकर इत्तला कर दे कि खलिहान में अनाज इकट्ठा कर लिया गया है, आप आकर अपना हिस्सा लेलें। लैण्ड होल्डर को यह बात मालूम हो जाने पर भी यदि वह लाटा करने या अपना हिस्सा लेने नहीं आता है तो उसके लिये वह खुद जिम्मेदार होगा। यदि इत्तिला देने पर भी वह नहीं आता है तो सरकार का कोई अफसर या तहसीलदार वहां जाकर काश्तकार और जागीरदार का हिस्सा अलग अलग कर दे। यदि आप इसे लाजमी नहीं बनाते हैं और किसान और लैण्ड होल्डर के बीच में झगड़ा है तो किसान लैण्ड ओनर को इत्तिला नहीं देगा और झगड़ा ज्यों का त्यों कायम रहेगा और दोनों ही पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस बात पर विचार करें कि आया काश्तकार के लिये इत्तिला देना जरूरी है या नहीं और यह प्रोविजन इस बिल में होना चाहिये या नहीं। कस्टम और दूसरी चीजों के साथ ही साथ इत्तिला देना भी लाजमी है कि खलिहान में धान आगया है, आप जाकर अपना हिस्सा ले लीजिये। इसके बावजूद भी यदि वह नहीं जाता है तो उसके परिणाम उसे भुगतने पड़ेंगे लेकिन कम से कम उसको इत्तिला मिलना आवश्यक है। इसलिये मैंने यह अमेण्डमेण्ट रखा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—He has got one more amendment.

श्री अध्यक्ष—If any body wants to support Shri Jawan Singh's motion he can do so.

श्री जवानसिंह—मेरा अमेण्डमेण्ट इतना सीधा-सादा है कि इसको सपोर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री जवानसिंह—मेरा जो दूसरा एमेण्डमेण्ट इस क्लॉज पर है वह इस प्रकार है:—

"In Clause 2, proposed section 4-B sub-section (6) the word 'or' be inserted between the word 'crop' and 'if it is claimed' in the sixth line."

आप इस पूरे बिल को एक साथ एक नजर से जब पढ़ेंगे तो यह प्रतीत होगा कि आपने इस क्लॉज को किस तरह से डील किया है। आपने "Appraisement" और "Division" वर्ड्ज रखे हैं। इसमें आपने रखा है "Estimate or appraisement"। इन शब्दों के सिलसिले में मैं कह दूं कि आपने "appraisement" से पहले "and" नहीं रखा है बल्कि "or" रखा है। जो मौजूदा क्लॉज है वह इस प्रकार है:—

"If the parties do not agree to such manner of division, and in all cases in which the rent is based on an estimate or appraisement of the crop if it is claimed that no rent is payable, such officer....." and so on and so forth.

मेरा यह अर्ज करना है कि उसमें भी जो क्लॉजेज हों आवेंगे और इसके बाद में बीच का कोई क्लॉज ऐसा नहीं रह जावेगा......

Page No.16

[श्री जवानसिंह]

"If the parties do not agree to such manner of division and in all cases in which the rent is based on an estimate or appraisement of the crop" तथा "if it is claimed" के बारे में "यदि अलग नहीं रखा तो ये दोनों मिल कर एक ही चीज बन सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों को अलग अलग कर दीजिये। अगर आप इसमें "or" बीच में नहीं जोड़ते हैं तो दोनों पोसिबिलिटीज (संभावनायें) पैदा हो जावेंगी तो आपके ऑफिसर उस समय कोई दूसरा काम नहीं कर सकेंगे। इस सिलसिले में next possibility envisage हो जाय तो उसका भी solution इसके जरिये हो जायगा।

इसलिये मेरा यह नम्र निवेदन है कि इसमें "और (or)" एड (add) कर दिया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह अमेण्डमेण्ट स्वीकार किया जावेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, इस धारा में दो अमेण्डमेण्ट प्रस्तुत किये गये हैं। पहले में "on the request of a tenant" शब्द बढ़ाने की बात कही गई है। इसके संबंध में मैं समझता हूं कि इसको एड करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि "By proper time is meant time which by custom or practice in a local area is deemed to be the time for division of the crop or appraisement of the standing crop."

"Custom or practice" वाली बात जहां आती है वहां इस प्रकार का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसके बाद यदि यह अमेण्डमेण्ट, जो हमारे सामने है उसको स्वीकार किया जाता है तो उसके स्वीकार करने का मतलब यह होगा कि उन चीजों को चालू करना होगा जो आज तक नहीं रही हैं। शेयर (Share) के बारे में सब लोग जानते हैं कि कब शेयर लेना है। मैं समझता हूं कि इस अमेण्डमेण्ट (Amendment) की आवश्यकता नहीं है। इसके इन्सर्शन से कॉम्प्लीकेशन्स पैदा होंगे।

दूसरा अमेण्डमेण्ट (Amendment) "or" जोड़ने का है। उसमें "or" बढ़ाने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—(श्री जवानसिंह को संकेत करके) You press your amendment?

श्री जवानसिंह—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष—(राजस्व मंत्री से) You do not accept this?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—I accept the second amendment.

श्री अध्यक्ष—The question is that Amendment No. 1 by Shri Jawan Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that Amendment No. 2 moved by Shri Jawan Singh be adopted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that Clause 2, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 2, as amended, forms part of the Bill.

खण्ड ३

Now we come to clause 3. There is only one amendment by Shri Tan Singh to the effect that a new clause 3 be added to the Bill. He has just given the notice of amendment. The amendment says, that the Provisions of the General Clauses Act, 1897, of the Central Legislature, shall apply, so far as may be, to this Act in the same manner as they apply to a Central Act, and it should be named clause 3. I accept this motion.

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय, जो बिल आज हमारे सामने आया है उसमें देखने से कहीं कमेन्समेंट क्लाज नजर नहीं आया है कि यह बिल कब से एक्ट के रूप में लागू होगा। ऐसी सूरत में हमारे यहां सैन्ट्रल लेजिस्लेचर का जनरल क्लॉजेज एक्ट मुटेटिस मुटेन्डिस (आवश्य परिवर्तनों सहित) लागू होता तो उसके द्वारा जिस दिन से इस बिल के लिये राजप्रमुख से मंजूरी होती है उसी दिन से लागू होता है। हमारे यहां ऐसा कोई जनरल क्लाजेज एक्ट लागू नहीं है। जहां तक मुझे याद है एक बार ऐसा बिल पास हुआ था मगर उसको हाउस में दुबारा रखा गया और दूसरी बार सैन्ट्रल लेजिस्लेचर का जनरल क्लॉजेज एक्ट लागू किया गया था। इसलिये इस एक्ट को स्पष्ट करने के लिये मैंने एमेन्डमेंट पेश किया है जो इस प्रकार है:—

"The provisions of the General Clauses Act, 1897 of the Central Legislature shall *mutatis mutandis* apply, so far as may be, to this Act in the same manner as they apply to a Central Act."

इस एमेन्डमेंट को स्वीकार करने के बाद यह स्पष्ट हो जावेगा कि जिस दिन राजप्रमुख इसको स्वीकृत करेंगे उसी दिन से यह एक्ट लागू माना जावेगा।

श्री अध्यक्ष—Is it in the original Bill?

श्री तनसिंह—मुझे यह तो याद नहीं कि पहले कौन से बिल के सिलसिले में इस प्रकार का प्रश्न पैदा हुआ था, मगर जिसमें सेन्ट्रल लेजिस्लेचर का जनरल क्लॉजेज एक्ट लागू करना पडा। मुझे यह तो देखने से मालूम होगा।

श्री सोहनलाल भटनागर—अध्यक्ष महोदय, यह एमेन्डमेंट जो लाया गया है वह बहुत जरूरी है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको अवश्य एड किया जावे।

श्री अध्यक्ष—When the water goes to the stream it will automatically be merged into it.

श्री चन्दनमल वैद—(उप-न्याय मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, ओरिजनल एक्ट में क्लॉज है। जनरल क्लॉज की सेक्शन अपने आप लागू हो जावगी। इसलिये इस एमेन्डमेंट को लागू करने की जरूरत नहीं है।

श्री जवानसिंह—आप उसको पढ़कर सुना दें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—I have got no objection. I agree with the amendment just moved by Shri Tan Singh.

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment regarding the insertion of a new clause to the Bill by Shri Tan Singh be accepted

(स्वीकृत)

A new clause 3 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 1, title and the enacting formula

(विराम)

The question is that clause 1, title, and the enacting formula stand part the Bill.

(स्वीकृति)

Clause 1, title and the enacting formula are added to the Bill.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—Sir, I beg to move that the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष—The question is that the Bill be passed.

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

राजस्थान भूमि-विशेष-सिंचाई भार विधेयक, १९५३

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—Sir, I beg to move that a Bill to provide for the levy of special charges in respect of lands included in irrigation schemes, as reported by the Select Committee be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—Motion moved. Any discussion on the principles?

(श्री हिम्मतसिंह बोलने को खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—Not merely for the sake of discussion?

श्री राजा हिम्मतसिंह–Not for the sake of discussion but for some imporatnt points.

(विराम)

लेण्ड्स स्पेशल इरिगेशन चार्जेज बिल जो हाउस के सामने है उसको देखने से बड़ी भारी आपत्ति पैदा हो गई है। ऐसे बिल के पास हो जाने से आम तौर पर काश्तकारों पर इसका जो असर पड़ेगा इस पर हमको विचार करना पड़ेगा।

सबसे पहले में हाउस के सामने यह बात कहूं कि जनता इस बिल का स्वागत नहीं करेगी। इससे जनता यह समझ जायगी कि उसके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। जिस चीज से उनको कोई लाभ नहीं है या लाभ पहुंचने से पहले ही उनसे पैसे की मांग की जाती है तो वे समझेंगे कि उनके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती होगी। इस विचारधारा को मद्दे नजर रखते हुए यह बिल बिल्कुल अनुचित सा नजर आता है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं यह अर्ज करूं कि इसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। इस बिल से लोगों को हम जानबूझ कर उदृण्डता की ओर ले जावेंगे। काश्तकार को इतनी समझ नहीं है कि इस बिल का अर्थ क्या है और इसका परिणाम क्या होगा? वे यह समझेंगे और साधारणतया समझना ही चाहिये, कि जिसकी जेब से पैसा जाता है उसको क्यों न दर्द हो, और दद होना भी चाहिये। वे समझेंगे कि गवर्नमेन्ट हमको लूट रही है। वे इस लूट से बचने के लिए हर दिक्कतें सामने लावेंगे और इससे गवर्नमेन्ट के सामने भी दिक्कत आ जावेगी। अतः इस बात को मद्देनजर रखते हुए यह बिल जो इन्ट्रोड्यूस किया गया है वह वाजिब नहीं है।

श्री अध्यक्ष—यह बिल इन्ट्रोड्यूस तो पहले ही हो गया है।

श्री हिम्मतसिंह—यह बिल इन्ट्रोड्यूस तो हो गया था किन्तु अगर इस बिल को पास कर दिया जावेगा तो अच्छा नहीं होगा।

श्री कंवरलाल जेलिया–माननीय अध्यक्ष, अभी सदन के सामने स्पेशल चार्जेज बिल पर माननीय सदस्य ने जो विचार रखे हैं उस संबंध में मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं। यह बिल जो सदन के सामने पेश हुआ है उस पर ये विचार व्यक्त किये गये हैं कि राजस्थान की जनता, राजस्थान के काश्तकार इस बिल की भावना को नहीं समझ सकेंगे, वे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकेंगे और इस बिल से सरकार के सामने बड़ी दिक्कतें पेश आजावेंगी; ये उनके विचार हैं। अब आप शान्त मस्तिष्क से सोचें। भारत की दशा को देखते हुए और खास तौर से राजस्थान की दशा को देखते हुए आप इस पर विचार करें। हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है? हमें हर साल अकाल का सामना करना.

[श्री कंवरलाल जेलिया]

पड़ता है। यदि हमें राजस्थान का निर्माण करना है तो हमें नदी-घाटी योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करना होगा और उनके लिये यह आवश्यक चीज है कि आर्थिक दृष्टि से राजस्थान सरकार को सहयोग दिया जाय। इन राष्ट्र निर्माणकारी-योजनाओं में हमको सरकार का साथ देना होगा।

यह बिल पहले पेश हो चुका था और विचारार्थ प्रवर समिति के सामने गया था। अब यह बिल पास होने के लिये हमारे सामने आया है। ये जो नदी-घाटी योजनायें हैं उनमें आर्थिक सहयोग देकर हम उनको पूरा करा सकते हैं क्योंकि यदि ये नदी-घाटी योजनायें समय पर पूरी हो जाती हैं तो इनसे उनका ही हित है: उन्हें सहयोग देना ही चाहिये। हमें पार्टीबन्दी की वजह से नहीं सोचना है। हमें खास तौर पर राजस्थान की इन योजनाओं पर सोचना है। इस बिल द्वारा भाखरा, चंबल आदि बड़ी-बड़ी नदी-घाटी योजनाओं पर असर पड़ता है। इसका चंबल पर भी असर पड़ता है। मैं भी उधर का एक प्रतिनिधि हूं। यह केवल भावावेश की बात नहीं है। इस बिल से काश्तकार लोग खुश होंगे क्योंकि उनको सिंचाई के लिये, उनके खेतों के लिये पानी मिलेगा। जब खेती के लिये कूए का निर्माण करेंगे तब भी वे पैसा खर्च करेंगे। जब बड़ी नदी-घाटी योजनाओं से नहरें निकलेंगी तो उनको उन कूओं पर पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। जब हमें जेब से पैसा खर्च करना है तो हमें यह देखना होगा कि उसका किस तरह से सदुपयोग हो सकता है। जब सरकार यह आश्वासन दे रही है कि इस योजना को पूरा किया जावेगा तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की आलोचना करना हमारे लिये शोभा-जनक नहीं प्रतीत होता। मेरा सदन से निवेदन है कि सरकार की सहायता के लिये इस बिल को पास किया जाना चाहिये।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, जो बिल सदन के सामने पेश हुआ है उस सिलसिले में मैं भी दो-एक बातें अर्ज करना चाहता हूं। हमें यह भी मानना पड़ेगा कि हमारा राजस्थान प्रान्त गरीब है और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि पर अवलम्बित हैं। ऐसी स्थिति में और काश्तकारों की जब ऐसी स्थिति हो उस हालत में, हमें अपने देश का निर्माण करना है जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि हमें अपने देश का निर्माण करना है। इन चीजों को नजरन्दाज करते हुए हमें यह मानना पड़ेगा कि लोगों को अधिक सुविधायें दी जायं, सरकार उनके ऊपर वैसा ही वजन डाले ताकि वे उनको सह सकें; लेकिन अभी काश्तकारों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वे किसी प्रकार का वजन बर्दाश्त कर सकें। अगर ऐसी स्थिति में आप उन पर और वजन डालेंगे तो मुमकिन है कि वे काश्तकार जिनकी आप उन्नति करना चाहते हैं, जिनकी आप तरक्की करना चाहते हैं, वे बोझ दब कर खत्म हो जावेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप उन पर किसी प्रकार का और टैक्स न लगावें। टैक्स लगाने का मतलब यही है कि हम उनको और दबाना चाहते हैं। इस बिल में तीन तरह के टैक्स लगाने का आयोजन है। कम से कम, वाटर रेट के लिये मैं समझता हूं कि वह लिया जाय क्योंकि सरकार उसके लिये खर्चा करती है। जहां कहीं से भी नाले से, नदी से वह सिंचाई के लिये पानी निकालती है तो उसके लिये उसको खर्चा करना पड़ता है। दूसरा कार्य है बेटरमेण्ट का। इसके लिये मैं यह अर्ज करूंगा कि सरकार को ऐसी स्थिति में होना चाहिये कि वह काश्तकार को मदद दे,

[श्री जवानसिंह]

कम से कम उनके लिये प्लॉट तो तैयार कर दे। अधिकारी किसी प्रकार उन काश्तकारों पर आर्थिक दबाव डाले इसके बजाय वे उनको आर्थिक सहायता दें। जिन काश्तकारों को फायदा पहुंचाने के लिये आप गला फाड़ फाड़ कर कहते थे, अब समय है कि आप वास्तव में उनको सहायता दें और अगर उनकी उन्नति करना चाहते हैं तो आप उनको फायदा दीजिये ताकि वे काश्तकार, जिनको इस वक्त आप फायदा देंगे तो कुछ समय बाद इस काबिल हो जावेंगे और आप उन पर टैक्स का वजन रखेंगे और उसे बर्दाश्त कर सकेंगे। पर इस वक्त उनकी स्थिति बड़ी कमजोर है, इसलिये इस समय कोई वजन उन पर डालना उचित नहीं होगा।

इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस स्टेज पर जो टैक्स इस बिल के तहत वह काश्तकारों पर लगाना चाहते है वह उचित नहीं है और मेरा यह खयाल है कि अवश्य ही उनके मन में यह शक पैदा हो जावेगा कि जब कि सरकार इस वक्त देश का नव निर्माण करने जा रही है और यह उसका उद्देश्य है, उस समय यह विरोधी बात क्यों हो रही है और इस तरह से नव निर्माण में उनका हार्दिक सहयोग सरकार को नहीं मिल सकेगा जो कि इसके लिये नितान्त जरूरी है। एक तरफ आप फोर्ड फाउन्डेशन की सहायता लेकर और न जाने किस किस की सहायता लेकर देश का उत्थान करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप किसानों पर, जो इस काबिल नहीं कि इस टेक्स का वजन बर्दाश्त कर सकें, उन पर वजन लादना चाहते हैं। ये दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ हैं। इसलिये मैं खास तौर से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर वह पुनर्विचार करे तथा जिस स्थिति में आज हम हैं उस स्थिति में यह बिल पास नहीं किया जावे।

(अल्प विराम के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—I think nobody else is to participate in the discussion.

(विराम)

श्री अध्यक्ष—(मंत्री महोदय की ओर संकेत करते हुए) जवाब दीजिये।

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, यह बिल किसानों के हित के लिये है, जमीनदारों के हित के लिये है, जनता के हित के लिये है; इसलिये इसका कहीं से विरोध नहीं हुआ। अलबत्ता मेरे एक-दो मित्रों ने कल जो बात कही उसके विरोध में आज दूसरी बातें कहीं।

कल तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना में ज्यादा से ज्यादा काम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में कराने के लिये प्रस्ताव रखे थे और उस समय भी मैंने निवेदन किया था कि सरकार के पास जितना रुपया है वह जनता के ही हित के लिये लगना चाहिये और लगेगा। सरकार काफी रुपया सिंचाई के कार्य पर लगा रही है, पर फिर भी सरकार की इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा काम सिंचाई का किया जावे और इसलिये किसानों को जो बहुत बड़ा फायदा पंचवर्षीय योजना और इस सिंचाई की व्यवस्था से पहुंचने वाला है उसमें से कुछ रुपया उनसे लिया जावे और उसको भी आगे और दूसरे सिंचाई के ही कामों में खर्च किया जावे।

Page No.22

[श्री भोगीलाल पंड्या]

यह एक मोटी सी बात है जिसको मेरे माननीय मित्र अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन फिर भी आपने कुछ बातें ऐसी कहीं कि हम फोर्ड फाउन्डेशन और न जाने कहां कहां से कर्जा लेते हैं तो फिर किसानों पर टैक्स नहीं लगना चाहिये, क्योंकि किसानों की हालत खराब है। पर मैं कहता हूं कि किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिये ही यह रुपया लिया जाता है, केवल सरकार की आय बढ़ाने के लिये नहीं लिया जाता। यह आप खातिर जमा रखें।

इसके अलावा और किसी मित्र ने और कोई बात नहीं बताई।

एक मित्र ने यह बताया कि लोग यह समझेंगे कि सरकार जनता को लूट रही है वगैरह वगैरह, तथा और भी ऐसी ही बातें कहीं। मैं कहता हूं कि जब ऐसी चीज ही नहीं है तो लोग कैसे समझेंगे कि सरकार जनता को लूट रही है। इसके फायदे साफ प्रत्यक्ष हैं।

श्री जवानसिंह–आन ए पोइन्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, सर, मैंने यह नहीं कहा कि सरकार लूट रही है।

(श्री लालसिंह शक्तावत उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भोगीलाल पंड्या– मैंने अपने एक माननीय मित्र का नाम लिया है। मैंने जो निवेदन किया उसको पूरा सुन लेते तो यह कहने की आपको आवश्यकता नहीं होती। एक दूसरे मित्र ने अभी जो कहा उसी को दोहरा रहा हूं।

हां, तो इसमें लूटने जैसी कोई बात नहीं है; अपितु किसानों को केवल फायदा पहुंचाने की बात है और अधिक से अधिक फायदा उनको पहुंचे, इसका भरसक प्रयत्न सरकार कर रही है और मैं आशा करता हूं कि मुझे इसमें सब मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा।

(कुछ विराम के पश्चात् श्री भोगीलाल पंड्या पुनः खड़े हुए)

श्री जवानसिंह—यह क्या दुबारा मौका दिया जा रहा है?

श्री उपाध्यक्ष—(श्री भोगीलाल पंड्या की ओर संकेत करते हुए) जी, कहिये।

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—Sir, I beg to move that the Bill be passed.

(अल्प विराम के अनन्तर)

Sir, my motion is that the Bill, as reported by the Select Committee be passed.

श्री उपाध्यक्ष—No. I put the question that the Bill be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

Page No.23

श्री उपाध्यक्ष—क्या इसमें अमेण्डमेण्ट्स हैं ?

(अल्प विराम के अनन्तर)

अमेन्डमेण्ट नहीं हैं, इसलिये क्लॉज वाई क्लॉज लेंगे।

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—Sir, I beg to move that the Bill be passed.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि बिल को पास किया जावे।

(स्वीकृत)

बिल पारित हुआ

राजस्थान विधि निरसन विधेयक, १९५३

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री विधि)—Sir, I move that the Rajasthan Laws Repealing Bill as reported by the Select Committee, be taken into consideration.

श्री उपाध्यक्ष- The question is that the Bill to repeal certain Laws in Rajasthan be taken into consideration.

(स्वीकृत)

Motion adopted, so we take the Bill to consider it clause by clause.

(विराम)

We take clause 2—Interpretation.

There are no amendments to Clause 2.

The question is that Clause 2 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 2 is added to the Bill.

(विराम)

There are no amendments to Clauses 3, 4 and 5.

(विराम)

So the question is that Clauses 3, 4 and 5 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The Clauses are added to the Bill.

(विराम)

Now we come to Schedule.

(विराम)

Shri Jawan Singh to move his amendment.

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान की पुरानी विभिन्न रियासतों में जो कानून था और जिनकी अब जरूरत नहीं है उनको रिपील करने के विषय में यह एक्ट पेश किया गया है। इसकी तहत में जो शिड्यूल दिया गया है उसमें इन तमाम कानूनों की फहरिस्त है। यह बात सही है कि इस फहरिस्त में ज्यादा कानून ऐसे हैं जिनकी वाकई में जरूरत नहीं क्योंकि या तो इनके मुकाबले दूसरे कानून बना दिये गये हैं या ऐसे कानूनों की अब आवश्यकता नहीं रही है। लेकिन मेरा संशोधन इन दो कानूनों को रखने के लिये है इस लिस्ट में ताकि वे रीपिल कर लिये जावें क्योंकि इन दो कानूनों की आवश्यकता नहीं है। वे नम्बर ६८ और ८८ में दिये गये हैं। ये दोनों कानून मेंटीनेन्स आफ एसेन्शियल सरविसेज के सिलसिले में हैं। ये दो कानून या इसी तरह के कानून अलवर और पुराने राजस्थान की दो या तीन रियासतों में प्रचलित थे किन्तु राजस्थान की दूसरी रियासतों में ऐसे कानून नहीं थे। अब हमारे सामने यह सोचने की बात रह जाती है कि इन तमाम रियासतों के एकीकरण होने के पश्चात और राजस्थान के निर्माण के बाद क्या कोई ऐसा कानून अब तक रहना चाहिये जो राजस्थान के किसी एक हिस्से में लागू हो और उसी तरह का कानून राजस्थान के दूसरे हिस्से म लागू न हो। मेरा निश्चित मत है और मैं इस मान्यता को सही समझता हूं कि अगर कोई भी कानून ठीक है तो वह पूरे राजस्थान के लिए ठीक है और अगर कोई कानून गलत है तो वह पूरे राजस्थान के लिए गलत है; खासतौर से ऐसे कानून जो मेन्टीनेन्स ऑफ एसेन्शियल सरविसेज की तरह का हो। सदन को यह भी विदित है कि एक इसी तरह का कानून हमारे सदन में पेश हुआ था पूरे राजस्थान पर लागू करने के लिए, किन्तु उस चीज की उपयोगिता को ठीक न मानते हुए उस चीज की आवश्यकता न समझने के कारण उस कानून को आजतक वापिस सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया, उसको अन्धेरी ताक में रख दिया गया। इस चीज से साबित होता है कि हमें ऐसे कानूनों की आवश्यकता नहीं जान पडती जो समाज के हित पर कुठाराघात करते हों, उनके साथ किसी प्रकार का अत्याचार करें। मैं उन शब्दों को वापिस दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता जो कल हमारे सामने बैठे हुए माननीय मित्र ने आततायी वगैरह,पता नहीं इस तरह के कैसे-कैसे अपशब्दों का प्रयोग किया जो वास्तव में उनके लिये ही सही हैं, यह साबित होता है। इस वक्त अगर हम इस चीज को मानते हैं कि हम इस वक्त स्वतंत्र हैं, आजाद हैं और हमें आजादी और स्वतंत्रता का सही उपयोग करना है, तो क्या यह आवश्यक है कि हमारी स्वतंत्रता को इस तरह के कानूनों से बाधित किया जावे और इस तरह के कानून जो विदेशी सरकार के जमाने में लगाये गये थे या ऐसी कठिन परिस्थितियों में लागू किये गये थे, जैसे महायुद्ध के वक्त में, तो क्या वे ही कानून आजादी के प्राप्त करने के बाद भी हम राजस्थान के लोगों पर लागू करना चाहते हैं? मैं एक सीधा सा प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं कि आपको यदि इस कानून की जरूरत थी और राजस्थान म उसको उसी रूप में कायम रखना था तो आप साल भर पहले एसेन्शियल सर्विसेज बिल को पास कर सकते थे, अपने बहुमत के बल पर और उसे सारे राजस्थान के लिए लागू कर सकते थे। आपने उस चीज की जरूरत नहीं समझी,खास कर इसलिए नहीं कि केन्द्रीय सरकार उसी तरह का कानून बना रही है और उसे पास कर दिया जायगा। मैं तो आपके सामने मौजूदा हालात जो जयपुर की है वह रखना चाहता हूं। जैसा कि सरकार द्वारा ऐलान किया गया कि जयपुर में जो उपद्रव किया जा रहा है वह खास कुछ गुन्डों द्वारा किया जा रहा है। आपकी निगाह में वे गुन्डे हैं, लेकिन जनता की जो आवाज है, जनता की जो असली मांग है उसको आप अन्दर

[श्री जवानसिंह]

करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसे कि आखिर में म्युनिसिपैलिटी को मन्जूर करना पड़ा। ऐसी चीजों के लिए जब कि आप इसे उपद्रव मानते हैं और गुन्डों द्वारा यह उपद्रव किया जा रहा है तो क्या एसे कानून की तहत में आप कोई कार्यवाही नहीं कर सकते और किसी प्रकार की कायवाही नहीं की जा सकती ? आज आप उनही रूल्स के जरिये जयपुर में, जिसे कायम रखना चाहते हैं कार्यवाही नहीं कर सकते क्योंकि हम इस वक्त इस कानून की जरूरत नहीं होने से इस कानून की तहत कोई कार्यवाही कर नहीं सकते, हम यहां जो कुछ कार्यवाही कर रहे हैं वह केन्द्रीय सरकार द्वारा पास किये हुए कानून के जरिये ही उसी कानून के तहत कार्यवाही कर सकते हैं, वह कानून पर्याप्त है । जब एसे कानून की कोई जरूरत नहीं, जिसकी तहत में आप कुछ भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो क्या जरूरत है कि हम ऐसे कानून को दो या तीन हिस्सों पर लागू रखें यानि दो या तीन पुरानी रियासतों पर लागू रखें और बाकी जगहों पर लागू न रक्खें। अगर आप चाहत हैं कि सारे राजस्थान के लिए कानून हो, अगर आप चाहते हैं कि यद्धकालीन अवस्था आज भी कायम की जावे, तो हो सकताहै कि राजस्थान के लिये यानि सम्पूर्ण राजस्थान के लिये आप इसे लागू करें। आप यह चाहते हैं कि आप के पास खतरे की समस्या बन गई है, आपको अपना जीवन ख़तरे में जान पड़ता है तो आप इन कानूनों को सारे राजस्थान के लिए लगाइये; केवल पुरानी एक-दो रियासतों तक ही सीमित न रखिये। इसलिये में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस चीज कोनिष्पक्षता से देखिये कि हमारे लिए क्या ऐसे कानूनों की जरूरत है या नहीं, पूरे राजस्थान के लिए जरूरत है या उसके कुछ हिस्सों के लिए जरूरत है ? आप इन कानूनों को राजस्थान की पुरानी रियासतों पर लाग रखकर राजस्थान के लोगों को यह दिखलाना चाहते हैं कि राजस्थान की दो या तीन पुरानी रियासतों के लोग उपद्रवकारी हैं, गुंड़े हैं, इसलिए उनके लिए इस प्रकार के कानूनों को रखना आवश्यक है ?आप राजस्थान के लोगों के सामने उदाहरण के रूप में यह पेश करना चाहतें हैं कि इन रियासतों के लोग गुन्ड़े, बदमाश और उपद्रवकारी हैं, जिनकी गुन्ड़ागीरी को रोकने के लिये ऐसे कानून उन रियासतों में लगाना या जारी रखना जरूरी है क्योंकि इस प्रकार का कानून बहुत सी पुरानी रियासतों में नहीं था। सरकार को मैं यह साफ करना चाहता हूं कि अगर आप निष्पक्ष होकर पूरे राजस्थान के लिए एक कानून बनाते हैं जो हमारे आजादी के उसूलों के माफिक हो तो हमें उसमें किसी प्रकार की बाधा डालने की आवश्यकता नहीं। इसलिये मैंनें यह अमेन्डमेन्ट आपके सामन रखा है कि ऐसे कानून जो पुरानी रियासतों में इस शिड्यूल में दर्ज नम्बर ६८ और ८८ के तहत में दिये गये हैं, जो केवल दो रियासतों के लिए लागू रखकर कायम करना चाहतें हैं, जो इन दो रियासतों के एरिया के लिये ही ह; उन एरियाज में भी न लगे। बाकी आप पूरे राजस्थान के लिए यदि ऐसे किसी कानून की आवश्यकता समझें तो आप उसे रखिये। जब तक पूरे राजस्थान के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बन जाता तब तक के लिए आप इसे वहां पर भी लाग न करें। जब कि राजस्थान के एक हिस्से म ऐसा कानून ही नहीं है तो दूसरे हिस्से पर भी ऐसे कानून को लाग न करना चाहिये। अगर राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ होता तो यह ठीक भी हो सकता था कि अलग अलग रियासतें हैं, अलग अलग कानून हैं। लेकिन जब राजस्थान एक प्रान्त बन चुका है तो फिर अलग अलग रियासतों के लिए अलग कानून न होने चाहियें। हो सकता है बम्बई के लिए जो कानून उपयुक्त हों वे राजस्थान के लिए उपयोगी नहीं हो सकते, हो सकता है कि अगर राजस्थान में किसी कानून की जरूरत है तो

Page No.26

[श्री जवानसिंह]

यू.पी. में उसकी जरूरत नहीं हो सकती। इसी तरह अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग कानूनों की उपयोगिता हो सकती है किन्तु एक ही राज्य में एक हिस्से में तो एक कानून हो और वही कानून दूसरे हिस्से पर लागू न हो, यह उचित प्रतीत नहीं होता। एसेन्शियल सरविसेज जैसे कानून को आप राजस्थान के एक हिस्से पर लागू करना चाहते हैं और दूसरे हिस्से सिरोही, बीकानेर आदि पर वह लागू न हो, यह कभी भी न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। अगर आप निष्पक्ष होकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिये ऐसे कानूनों को इस वक्त कायम रखने की कोई जरूरत नहीं।

उस वक्त तो हमारे सामने हमारी उन पुरानी रियासतों की जिनमें यह कानून लागू थे, बात दूसरी थी क्योंकि बाद में आशा थी कि दूसरे कानून हमारे राजस्थान के लिये बनेंगे। मगर आज हम उन कानूनों को रद्द करते हैं तो इन जिलों में ऐसी बातें पैदा हो सकती है, दूसरी लीगल मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन यह तो आपका एक कथन मात्र है कि जिनके तहत आप जनता को सुविधा देना चाहते हैं, जनता को आजाद करना चाहते हैं, आप उनकी आजादी को बढ़ा देना चाहते हैं, ऐसा कानून कायम रख कर ऐसी झूठी दलील क्यों देते हैं ? राजस्थान में इस तरह के कई कानून काम नहीं कर रहे हैं। उन कानूनों के तहत कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो आपको आगे और मुश्किलातें आती हैं। केन्द्रीय सरकार का कानून आपके पास में मौजूद है। जयपुर में जो यह हो रहा है इसके लिये भी केन्द्रीय सरकार का कानन काम में लाकर आप उसे दबा सकते हैं, तो फिर क्या आवश्यकता है राजस्थान के विभिन्न भागों में ऐसे कानून बनाये रखने की, और वहां की प्रजा को इस तरह से बदनाम करने की कि राजस्थान में वे भाग ऐसे हैं, वहां के रहने वाले ऐसे लोग हैं जो बदमाश और लफंगे हैं और उनके लिये ऐसे कानून को रखना जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और मेरे संशोधन को अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष, जिस वक्त यह बिल इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उस वक्त माननीय मंत्री का, जिन्होंने कि इस बिल को सदन के अन्दर प्रस्तुत किया है, विचार यह था कि दोनों एसेन्शियल सरविसेज मैन्टीनेन्स बिल (Essential Services Maintenance Bill) हैं वे भी रिपील (Repeal) कर दिये जायेंगे, शायद उनकी धारणा उस वक्त यह हो सकती है कि राजस्थान के लिये एसेन्शियल सर्विसेज मैन्टीनेन्स बिल शीघ्र ही सदन में पारित होने वाला है, इसलिये जिन डिफ्रेन्ट स्टेट्स (Different States) में यह कानून थे उनको रद्द कर दिया जाय और उसके बाद में एक कानून इस सदन के द्वारा पारित कर दिया जाय। माननीय अध्यक्ष, उनकी धारणा जहां तक कानून बनाने का संबंध है बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस कानून के द्वारा किस प्रकार से जनता के अधिकारों को कुचला जायगा, इस प्रकार की बात शायद उनको मालूम नहीं होगी। जिस वक्त राजस्थान विधान सभा के गत अधिवेशन में इस पर विचार हो रहा था उस वक्त इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने उसका काफी विरोध किया था। आज जनता में सरकार के प्रति बड़ा भारी असन्तोष है और खास तौर से जितने भी सर्विसेज में हैं उनमें तो

[श्री भैरूंसिंह, वि० सं० १६]

एक जबरदस्त असंतोष आज इस गवर्नमेण्ट के प्रति है। आज जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनमें असंतोष होने के बावजूद भी, उनकी जबान बन्द करके कहेंगे कि "हमने तुम्हारी जबान बन्द करने के लिये कानून बनाया है, अब तुम बोल नहीं सकते हो।" आज जगह जगह म्युनिसिपैलिटीज् हैं, वहां के हरिजन मजदूरों को ६-७ महीने तक तनख्वाह नहीं दी जाती हैं। आज ही मेरे पास सूचना मिली है कि डीडवाना में भंगी एक महीने से हड़ताल कर रहे हैं, उनको एक महीने से किसी प्रकार की तनख्वाह नहीं दी गई है। लेकिन इस कानून के द्वारा उनका क्या होगा कि तुम्हारी जबान बन्द कर दी गई है; तुम्हें काम करना पड़ेगा, भूखे रहो या कुछ भी करो लेकिन इस कानून के जरिये तुम्हें सरकार का हुक्म मानना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, और कहीं से भी जीवन निर्वाह का प्रबंध करो।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून इस प्रकार का है कि जिन कानूनों के आधार पर राजाओं ने जनता को कुचला है और जिस वक्त राजाओं ने इन कानूनों के आधार पर जनता को कुचला है तो हमारे नेताओं ने विरोध किया। स्वर्गीय पूज्य गांधीजी ने तथा पं. जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था, राजस्थान के बड़े-बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया था। अब मैं नहीं समझता हूं कि उस जमाने में और इस जमाने में, जो कि आज जनतन्त्रवाद का जमाना है; उसमें आज जब इस प्रकार का कानून सदन द्वारा पारित हो रहा है तो मुझे दोनों जमाने में कोई डिफरेंस (Difference) मालूम नहीं होता है। आज यह जनता के अधिकारों की बात है। इस प्रकार का कानून जनता के अधिकारों का हनन कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति सरकार के प्रति असंतुष्ट ो तो वह उस असंतोष को व्यक्त करे, लेकिन उसको दबाने के लिये, किसी की आजादी को कम करने के लिये, किसी के अधिकारों का हनन करने के लिये, हमें इस प्रकार का कानून नहीं बनाना चाहिये। १९४१ में जिस वक्त यह कानून बने हैं, १९४२ में जिस वक्त यह कानन बने हैं तो वह जमाना और था। मत्स्य में सन् १९४८ में यह कानून बना। इसका कारण यह है कि मत्स्य में वहां की सरकार जनता द्वारा नोमीनेटेड (Nominated) थी। सन् ४१-४२ में राजाओं का राज्य था, ब्रिटिशर्स यहां पर हुकुमत कर रहे थे, वार टाइम था और दुनियां में कई प्रकार से अशान्ति थी; लेकिन आज बिलकुल शान्ति है, आज इस प्रकार की कोई इमरजेन्सी (Emergency) नहीं आ गई है, जिसके कारण कि सरकार को इस प्रकार के कानून बनाने के लिये बाध्य होना पड़े। आज इस प्रकार की जनता में कोई हलचल पैदा नहीं हो गई है कि सरकार का तख्ता उलटने के लिये वह कदम २ आगे बढ़ रही है। उस समय के जमाने में और इस समय के जमाने में काफी फर्क है। उस जमाने में सरकार के सरकारी कर्मचारी मुकाबला करने के लिये तैयार हो सकते थे, लेकिन आज सरकारी कर्मचारियों में असंतोष होने के बाद भी सरकार उनकी जबान बन्द कर देना चाहती है। वह जब यह कहती है कि राजस्थान के कर्मचारियों में किसी प्रकार का असंतोष नहीं है तो फिर सरकार इस बात को क्यों भूलती है कि यदि किसी प्रकार का असंतोष नहीं है तो उन कर्मचारियों की जबान बन्द करने के लिये इस प्रकार का कानून क्यों लाया जा रहा है?

दूसरी जो दो-एक खराबियां मुझे लगी थीं उस वक्त, वह मैं आपको बताऊंगा। उस सिलेक्ट कमेटी का मैं भी मेम्बर था। जिस वक्त सिलेक्ट कमेटी में इस पर विचार किया जा रहा था तो मैंने

[श्री भैरूंसिंह]

कहा था कि उन तमाम काननों की कॉपियां बताई जायं ताकि हम जान सकें कि इन कानूनों में क्या है, तो मंत्री महोदय ने कहा कि जयपुर एसेन्शियल सर्विसेज मेन्टीनेन्स एक्ट (Jaipur Essential Services Maintenance Act) मेरे पास मौजूद है, दूसरा भी मेरे पास है, लेकिन बूंदी का मेरे पास नहीं है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैंने उनसे फिर निवेदन किया कि जिस कानून की किताब आपके पास मौजूद नहीं है......

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री विधि)—On a point of information, Sir, आपको शायद यह बात मालूम नहीं है कि सिलेक्ट कमेटी की दूसरी मीटिंग जिसमें कि शायद आप नहीं थे उसमें उस कानून की प्रति रख दी गई थी।

श्री भैरूंसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह मालूम नहीं था कि दूसरी सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग में उस कानून को रख दिया था, लेकिन जिस नियत से रखा गया था वह नियत थी हमें इस प्रकार के कानून रखना है चाहें उसमें अन्याय हो या नहीं; इस कानून के द्वारा हम जनता की भावनाओं को कुचलना चाहते हैं। इस बिल को रिपील करन के लिये सरकार यह मानती है कि उप-मंत्री महोदय ने बिना देखे ही रिपील करने के लिये उसे स्टेच्युटरी बुक में रखा और इस बिल का प्रस्ताव किया है। उसे वापिस लेने के संबंध में सिलेक्ट कमेटी में कई सदस्यों ने अपनी अपनी विचारधाराएं व्यक्त की तो उससे पहले पहले मंत्री महोदय यह जानकारी कर लेते कि उस कानून में क्या है, लेकिन उनकी नियत मालूम हो गई। उस नियत के मायने यह हैं कि एसेन्शियल सर्विसेज मेन्टीनेन्स बिल के मातहत राज्य की जनता की भावनाओं को कुचल दें। उन सरकारी कर्मचारियों में जो असन्तोष है उस असन्तोष को व्यक्त न करने देने के लिये सरकार उनका मुंह बन्द करना चाहती है। जिनको कम तनख्वाह मिलती है वे विशेष तौर से सरकार के प्रति असन्तुष्ट हैं। उन कम वेतन-भोगी कर्मचारियों और मजदूरों को दबाने के लिए इस प्रकार के हथियार काम में ला रही है। यदि यह भावना उनकी न होती तो उप-मंत्री महोदय को यह जानकारी होती कि दरअसल में इस कानून में है क्या। सिलेक्ट कमेटी में उप-मंत्री महोदय यह न कहते कि चाहे कानून हो या न हो हमें यह कानून पास करना है। मजबूरी है कि हमें इस प्रकार का कानून मालूम नहीं है। आज वह कह सकते हैं कि कानून जरूरी है, लेकिन उन की भावना दूसरी थी। भावना उनकी यह थी कि बिना उस कानून को देखे हुए ही इसको पास कर दिया जाय। मैंने उस वक्त इसीलिये निवेदन किया था कि एसेन्शियल सर्विसेज मेन्टीनेन्स बिल के नाम पर यह हो सकता है कि कोई भी कर्मचारी अपनी कोई एप्लीकेशन, अपनी ग्रीवीन्स : , सरकार के सामने रखे। सीनियोरिटि, जूनियेरिटि या इन्क्रीमेन्ट का मामला भी यदि आपके सामने रखें तो उनको गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। उनकी भावना यह थी कि इस प्रकार के कानून बनाना है और जनता और कर्मचारियों की भावनाओं को कुचलना है। इस प्रकार का विचार करके इसे रखा गया है। आप काँग्रेस का इतिहास देखिये। काँग्रेस ने अंग्रेजों के जमाने में इस प्रकार के कानूनों का विरोध किया था, केवल विरोध ही नहीं किया था बल्कि बड़े बड़े नेताओं को इसके लिये ६–६ महीने तक जेल में रहना

[भैरूंसिंह]

पड़ा था। आज वही कांग्रेस सरकार स्वयं इस तरह के कानून बनावे तो यह कितनी शर्म की बात है। जनतंत्र और स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए, सर्विसेज के हित को ध्यान में रखते हुए, इसे शीघ्र रिपील किया जाना चाहिये।

श्री गोपालाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, गवर्नमेन्ट की तरफ से रिपील होने के लिये जो लॉज़ लिस्ट में आये हैं उनमें से तीन के बारे में कानून के विद्वानों का कहना है कि उनकी जरूरत नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि सिलेक्ट कमेटी को कोई एक्सपर्ट ओपीनियन नहीं मिली इसलिये तीनों लाज रख लिये गये। यदि वे रखे जाते हैं तो सिवाय इसके कि वेस्ट पेपर बास्केट में पड़े रहें, कोई वेल्यू नहीं है। कई आदमी जो जयपुर में काम करते हैं यदि उनकी बदली मत्स्य में किसी स्थान पर हो जाती है तो क्या मत्स्य के लॉज उन पर लागू होंगे और वहां से उनकी ट्रान्सफर जोधपुर हो जाती है तो उन पर कहां के कानून लागू होंगे। जब राजस्थान एक हो गया है, जयपुर, जोधपुर, मत्स्य आदि का सवाल नहीं है, इन्टिग्रेशन हो गया है तब इन तीनों कानूनों को रखना कोई वकत नहीं रखता। They should be rejected क्योंकि इनको रखने से कोई मतलब हल नहीं होता।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, विधि)——माननीय श्री जवानसिंह जी ने ६८ और ८८ नम्बर पर शिड्यूल में जो कानून हैं उनको रिपील करने के लिए जो संशोधन रखा है मैं अपने आपको उससे सहमत नहीं पाता। उन्होंने इस पर बहस करते हुए कई भावनाओं का प्रदर्शन किया, मैं उन भावनाओं की कदर करता हूं। लेकिन यह तो बिल्कुल एक ठंडे दिमाग से सोचने की सीधी साधी बात है, भावनाओं की कोई बात नहीं थी। जब इन्हें शिड्यूल पर रखा गया तब यह सोचा गया था कि एसेन्शियल सर्विसेज़ मेन्टिनेन्स बिल, १९५२, जो सदन के सामने पेश है उस पर सदन का निर्णय हो जायगा। अब जब कि निर्णय नहीं हुआ है तो सदन के निर्णय को एन्टिसिपेट करना उचित नहीं होगा। सदन उनके बारे में कैसा भी निर्णय करे उसके लिये स्वतंत्र है, लेकिन जब तक कोई निर्णय न हो तब तक उससे पहले किसी बात को एन्टिसिपेट करना उचित नहीं है। इसलिये यह उचित समझा गया कि स्टेटस को (Status quo) मेन्टेन किया जाय क्योंकि जब सदन से यह बिल पास हो जायगा तब अपने आप ही पुराने कानून रिपील हो जायेंगे। लेकिन जब तक इस बिल पर सदन का निर्णय नहीं हो जाय तब तक स्टेटस को (Status quo) मेन्टेन करना लाजमी है। सदन से निर्णय होने के बाद उसका आदर आप और हम सभी करेंगे। यह बिल्कुल ठंडे दिल से सोचने को बात है। भावनाओं का प्रदर्शन यदि करना है तो जिस समय एसेन्शियल सर्विसेज़ मेन्टिनेन्स बिल सदन के सामने पेश होगा उस समय आप करें। इस समय किसी दूसरी तरह का असर नहीं डालना चाहिये और स्टेटस को (Status quo) मेन्टेन करना चाहिये। मैं माननीय मित्र से कहूंगा कि वे अपना अमेन्ड-मेन्ट वापिस लेलें।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि श्री जवानसिंह ने जो संशोधन शिड्यूल के सीरियल नम्बर ६८ और ८८ के बारे में रखा है उसे स्वीकार किया जाय या नहीं? जो पक्ष में हों वे 'हां' कहेंगे और जो विपक्ष में हैं वे 'ना' कहेंगे।

(मतदान के पश्चात्)

श्री जसवन्तसिंह—Ayes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—The argument about discriminatory laws, as pointed out by Mr. Yadav has also force in it, even if it is passed.

(श्री जसवंत सिंह की ओर संकेत करते हुए)

So you want Division?

श्री जसवन्तसिंह—It is a reactionary law.

श्री उपाध्यक्ष—We have been tolerating these reactionary laws since long. The question is whether to tolerate them further more or not.

(विभाजन घण्टी बजने के पश्चात्)

The question is that the amendment moved by Shri Jawan Singh regarding deletion of items 68 and 88 from the Schedule to the Rajasthan Laws Repealing Bill, be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that the Schedule stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The Schedule is added to the Bill.

(विराम)

Now the question is that Clause 1, title and the enacting formula, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 1, title, and the enacting formula. Stand part of the Bill.

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, विधि)—Sir, I beg to move that the Bill be passed

श्री उपाध्यक्ष—The question is that the Bill be passed.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—माननीय अध्यक्ष, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्ष--You should anticipate the decision of the House.

श्री भैरूंसिह--अध्यक्ष महोदय, यह थर्ड रीडिंग का स्टेज है और मुझे विरोध करने का अधिकार है, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस पर कुछ कहने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--You have, of course, a right to speak. I do not deny your right., but you have to look to the sense of the House.

श्री भैरूंसिह--मुझे इस प्रकार की आशा है कि मैं, जो हाउस की सेन्स है उसको बदल सकूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--My good wishes are there.

श्री भैरूंसिह (दांता रामगढ)--माननीय उपाध्यक्ष, जिस तरह यह बिल इस सदन के सामने आया है और इसमें जिन कानूनों का जिक्र है यदि वे ज्यों के त्यों पास कर दिये जावें, जैसे कि वे स्टेच्यूट बुक में हैं, तो उससे किसी प्रकार का नुकसान जनता और सरकार को होने वाला नहीं है। एक लिस्ट जिसमें २ हजार कानून हों उसमें यदि १०१ नाम और लिखे जा सकते है तो मैं समझता हू कि कानून बनाने वाले और कानूनों द्वारा काम करने वाले यदि देखेंगे तो मालूम होगा कि जनता को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकेगा। लेकिन मुझे बडा दुःख है कि उनमें से तीन भयंकर कानून रखे जा रहे हैं जिनके द्वारा जनता को जबर्दस्त नुकसान होने वाला है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को पास करना किसी भी प्रकार से इस सदन के लिये शोभनीय नहीं होगा।

मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सदन के सदस्य जिन्होंने कि जनता को बडे बडे आश्वासन दिये थे कि वे उनके हितों की यहां पर रक्षा करेंगे, कभी भी उनका स्वागत नहीं करेंगे। जयपुर की जैसी हालत आज-कल हो रही है और जिस प्रकार उनके अधिकारों की अवहेलना की जा रही है यह सब आज शाम को होने वाली मीटिंग में कहेंगे कि आप लोग सारे के सारे हमें आश्वासन देकर आये थे कि अगर जनता को असंतोष होगा तो उस प्रकार के कानून नहीं बनाये जावेंगे, मगर यहां पर आकर इस प्रकार के कानून बनाये जा रहे हैं जिससे कर्मचारियों में असंतोष है वे कहेंगे कि इन कानूनों द्वारा उनके सारे के सारे जो नागरिक अधिकार हैं वे छीन लेंगे। मैं समझता हू कि एक तरफ सरकार उनके मौलिक अधिकारों को देने का दावा करती है और दूसरे अधिकार देने की बातें करती है वहां दूसरी तरफ उनके मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात करने जा रही है। इसलिये मैं माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे अपना पुराना इतिहास देखें और कांग्रेस के सदस्यों से भी यह कहूंगा कि जो लोग यह कहते हैं कि कांग्रेस ने देश की सेवाएं की हैं उनको यहां पर भूलना नहीं चाहिये कि कोई भयंकर कानून यहां पर न बने। वे कहते हैं कि जिस प्रकार कांग्रेस ने जनता और देश की सेवा की है किसी दूसरे ने नहीं की तो उनसे यह निवेदन करूंगा कि वे ऐसी स्थिति पैदा न करें जिससे पब्लिक को असंतोष हो। आज वे बहुमत में हैं और विरोधी दल अल्पमत में है इसलिये जैसे कानून वे बनाना चाहें बना सकते हैं लेकिन उनको बहुमत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। वे देखें और समझें कि ऐसे कानून बनाये जाने चाहिये जिससे किसी तरह से जनता का नुकसान न हो, आज आप बहुमत में हैं पर कल उधर से इधर आ सकते हैं। समय बदल सकता है और उन्हीं कानूनों

[श्री भैरूंसिंह दांतारामगढ़]

को आप पर भी लागू किया जा सकता है। आप अपना स्तर ऊपर उठावें और गौर करके देखें कि इन कानूनों से पब्लिक को कितना नुकसान होने वाला है ? में यह निवेदन करूंगा कि आप अपनी पास्ट हिस्टरी को दृष्टिकोण में रखते हुए और जनता के हित को देखते हुए ये सारे के सारे कानून जो शिड्यूल में हैं, रद्द किये जावें, ऐसी राय दें कि यह बिल जिस रूप में हमारे सामने है, पास नहीं किया जावे।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस बात की जरूरत महसूस हुई है कि में भी श्री भैरूंसिंह जी ने जो कहा है उसके अनुमोदन में कुछ कहूं। अभी जो बातें माननीय मंत्री जी ने कहीं उन पर हमें कोई एसी बात मालूम नहीं हुई जिससे हम कन्विन्स्ड हो सकें। उन्होंने कोई तथ्य की बात नहीं कही। यदि यह कानून सारे राजस्थान में लागू किया जाता तो कोई बात नहीं थी परन्तु यह सिर्फ तीन स्थानों में लागू होगा, ऐसा ही क्यों। पहले तो दो स्थानों का ही कहा गया था लेकिन बाद में तीसरे का नाम भी लिया गया और कहा गया कि गलती में दो जगह हुई। इस शिड्यूल में मत्स्य एसेन्शियल सर्विसज जो रखा गया है उसका भी इतिहास यह रहा है कि हमारे संयुक्त दल के सदस्यों ने, सिलेक्ट कमेटी में जो थे, उसका विरोध किया। एक माननीय सदस्य जिन्होंने यह एमेन्डमेंट पेश किया एक दिन सिलेक्ट कमेटी में मौजूद नहीं थे। पिछले दो जयपुर और बूंदी के लिये विरोध किया गया। सिलेक्ट कमेटी में हटा लिये गये और उसके बाद में सरकार ऐसा क्यों कर रही है, हमारी समझ में नहीं आता। हम तो यह कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार है, उसको कांग्रेस का बल है और वे लोग शायद यह भी खयाल करते होंगे कि पब्लिक भी उनके साथ है। मैं यह कहूंगा कि जब वे इस बात को जानते हैं कि पब्लिक भी उनके साथ है तो फिर हर बात में उनको डरने की क्या जरूरत है। मैं समझता हूं कि उनका यह डर उनके दिलों में इस हद तक पहुंच गया है कि उनको अपनी छाया से भी डर लगने लग गया है और यह नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान में उनका शासन है या कहीं दूसरों का : जैसा कि मुगल शहनशाह शाहआलम आखिरी शहनशाह था। वह भारत का बादशाह जरूर कहलाता था, मगर उसका राज्य सिर्फ दिल्ली और पालम तक ही रह गया था। यदि राजस्थान में हम मंत्री मंडल की, उनके शासन की हालत को देखें तो आज हमें देखना है कि आज जयपुर में क्या हो रहा है? जयपुर में गुन्डा राज्य कायम हो गया है। मेरे परम मित्र श्री व्यास जी का शासन पूरे राजस्थान में चल रहा है इसमें मुझे शक है। यदि माननीय व्यासजी का राज्य है या माननीय जोशीजी का राज्य है तो उनको डर क्या है? उनको चाहिये कि अपने राज्य में बगैर पुलिस की मदद के लोगों से मिलें। मगर दरअसल देखा जाये तो आज उनका राज सेक्रेटेरियेट से लेकर सिविल लाइन्स तक सीमित है और वह भी पुलिस की मदद के द्वारा। अगर उनको वाकई में बड़ा भारी डर है तो सर्विसेज से क्या डर है ? जनता तो ऊब चुकी है क्योंकि बहुत से मंत्रीजी तो ऐसी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं हमारे राज्य में बहुत सी जगह कि वे वहां जाने की हिम्मत तक नहीं करते और बहुत से ऐसे हैं जिनका स्वागत जनता करती है काले झंडों से। हमारे साथियों को ऐसा डर हो गया है कि पब्लिक उनके खिलाफ है और मुमकिन है उनके कर्मचारी वर्ग भी उनके खिलाफ हो जाव तो उनका काम चलना भी मुश्किल हो जावेगा। अभी तक यह बात हमारे समझ में नहीं आई कि ये कानून तीन जगह ही प्रचलित क्यों रखे जाते हैं और दूसरी जगह क्यों नहीं ?

Page No.33

[कुंवर श्री जसवन्तसिंह]

यह हम मानते हैं कि जिस स्थिति में ये बिल रियासतों के समय में पास किए गए थे उनका विरोध कांग्रेस द्वारा कितना जबरदस्त किया गया था और वह विरोध हमारे साथियों द्वारा किया गया, जो कि आज ट्रेजरी बन्चेज पर हैं। अब उनका दृष्टिकोण इन ट्रेजरी बेन्चेज को ओक्यूपाई करते ही बदल गया है। उन्हें यह डर है कि अगर कर्मचारी बदल गए तो उनका क्या होगा ? वे उसमें क्या फायदा उठावेंगे ?

हमारी पिछली सरकार द्वारा एसेन्शियल सर्विसेज मेन्टीनेन्स बिल इस हाउस के सामने पेश किया गया था। वह बिल इस वक्त जनता की राय के लिए भेजा गया है। मुमकिन है जनता ऐसे प्रतिक्रियावादी बिल के विरुद्ध राय दे। मैं विरोधी पक्ष के विचार आपके सामने रखूंगा कि हम समय के अनुकूल चलते हुए इसका विरोध करेंगे। आज यह जमाना नहीं है कि आप ताकत से या फोर्स से किसी पर राज्य करें। आप राज्य जब कर सकते हैं जब कि आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव केपेबिलिटी बतला कर जनता को साथ रखें। अगर ये तीनों एक्ट समस्त राजस्थान के लिये लागू होते तो दूसरी बात थी; किन्तु केवल तीन जगहों में ही इन एक्टस को लागू कर आप एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन लेना चाहते हैं और तीनों रियासतों में रख कर आप उन लोगों को काबू में लेना चाहते हैं। यह बात नहीं बन सकती। अगर यह बिल राजस्थान राज्य-कर्मचारियों पर ही लागू होता तो कोई बात नहीं थी किन्तु दूसरी प्राइवेट सोसाइटीज, फेक्ट्रीज, मिल आदि के जो कर्मचारी हैं उन पर भी यह लागू होता है और उनके विरुद्ध भी उसके आधार पर एक्शन लिया जा सकता है। इसलिये मैं मेरे साथी, जो उस पक्ष में बैठे हुए हैं उनसे भी अर्ज करूंगा कि इस स्टेज के पहुंचने से पूर्व, वे समय के साथ चलें। मैं मित्र के नाते आपके दिल में यह भावना पैदा करूंगा कि जो इस तरह के बिल द्वारा तीन रियासतों में आप एक्शन लेना चाहते हैं उसको ध्यान पूर्वक देखें और जो कानून हम बना र हैं उन पर अच्छी तरह से गौर करें और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि विरोधी पक्ष भी आपके साथ रहेगा समय को देखते हुए इस प्रकार के कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खास तौर से मुख्य मंत्रीजी से अर्ज करूंगा कि आज इस जमाने में इस तरह के कानूनों की कोई जरूरत नहीं है।

यह एक छोटी सी बात है, इसमें कोई सन्देह नहीं। अगर यह राजस्थान के लिये लागू होता तो इसका कोई महत्व हो सकता था किन्तु तीन छोटी रियासतों में इसके न रखने से सरकार को कोई नुक्सान नहीं होने वाला है। साथ ही साथ यह प्रेस्टिज का भी सवाल नहीं है। हम लोगों की यह उचित मांग है, अतः आप इसको मानियेगा। आशा है आप हमारी राय को मानेंगे। मैं समझता हूं कि दुर्भाग्य से हमारे प्रान्त की जो स्थिति है उसके लिए भी यह हितकर बात होगी।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

रावत श्री शंभूसिंह—लॉज रिपीलिंग बिल हमारे सामने आ रहा है और उसके मतल्लिक मैं यह समझा कि जो लॉज प्रचलित है उनका एकीकरण करके युनिफोर्म लॉ बना दिया जायेगा, परन्तु जब मैं यह देख रहा हूं कि इन तमाम लॉज को हटाया जाकर विविध रियासतों में विविध प्रकार जो लॉज प्रचलित रहे हैं उनमें युनिफोर्मिटी नहीं आ रही है और यूनिफोर्मज लॉ बनाने का जो उद्देश्य था वह दूर

[रावत श्री शंभूसिंह]

किया जा रहा है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अध्यक्ष महोदय, जब हम देखते है कि एसेन्शियल सर्विसेज़ को मेन्टेन करने के लिए केवल तीन रियासतों में ही प्रचलित कानून लागू रहेंगे और बकाया में नहीं तो यह तो एक डिस्क्रिमिनेटरी बात हुई। मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि यह तो भारतवर्ष के संविधा न के भी विरुद्ध है। कॉन्स्टिट्यूशन यह इजाजत नहीं देता है कि कोई डिस्क्रिमिनेटरी लॉ किसी जगह बनाया जाय। अतः आप लोगों के पुनर्विचारार्थ में आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप इस किस्म कि युनिफोर्मिटी को दूर करने वाला डिस्क्रिमिनेटरी कानून पास नहीं करें। मैं उधर बैठने वाले अपने मित्रों से यह पूछना चाहता हूं कि जिन मित्रों ने भारतवर्ष को स्वतन्त्र कराने के लिए इतनी लड़ाई लड़ी और नागरिक अधिकारों के लिए इतने जूझते रहे, क्या वे ही मित्र नागरिक अधिकारों को हनन करने वाले ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को इस राज्य में रखना पसन्द करेंगे ? यह लॉज जो हैं वे सर्विसेज की स्वतन्त्रता को हनन करने वाले हैं। अतः यह उनके लिए शोभनीय नहीं है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

इस स्वतन्त्र युग में इस हाउस द्वारा ऐसा बिल पास कर दिया जाना स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों का हनन करना है। अतः मेरा , इस कोन्स्टिटयुश्नल आपत्ति के साथ, हाउस से निवेदन है कि ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी कानून , जो सर्विसेज पर प्रभाव डालने वाला है, वापिस ले लिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय उपाध्यक्षजी, सदन के उस ओर से यह एतराज उठाया गया है कि यह कानून, एसेन्शियल सर्विसेज़ मेन्टिनेन्स कानून, जो जयपुर, बूंदी और मत्स्य के लिए है इसको निकाल देना चाहिये इसलिए कि भारत के संविधान के बनने के बाद इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होना अच्छा नहीं। दूसरी यह दलील दी गई है कि इस तरह का कानून जनता और सर्विसेज के विरोध में पड़ता है इसलिए भी इसको हटा देना चाहिये। मुझे तो यह आशा थी कि विरोधी दल के साथी इस बात को खूब समझते हैं कि इस सदन के सामने एसेन्शियल सर्विसेज़ बिल जो पेश हो चुका था और जो जनता की राय के लिए सर्क्युलेट किया जा चुका है और जो इस सदन की अगली बैठक में आपके सामने आवेगा और फिर हम उस पर विचार करेंगे, पास किया जावेगा। जो दलील आज दी जाती है वह उस वक्त दी जाय तो अच्छा है कि हम किस तरह का एसेन्शियल सर्विसेज को कन्ट्रोल करने के लिए कानून बनाना चाहते हैं। पुराने कानून की जो आधारभूत बातें हैं उनमें से वे क्या रखना चाहते है ? जो कानून हम बनाना चाहेंगे वे आप और हम सब ही बैठ कर बनावेंगे। जो जो कानून मुख्तलिफ रियासतों में प्रचलित हैं वे कहां कहां फिट किए जा सकते हैं ? सिर्फ दो-तीन महिनों की ही बात रह जाती है। मैं समझता हूं कि तब तक यह सरकार न तो प्रगतिशील ही, जैसा कि वे सोचते हैं, बन जायगी अगर वह प्रतिक्रियावादी हैं तो। इसलिए मैं खास तौर से माननीय जसवन्तसिंहजी से अर्ज करूंगा कि उन्होंने कई कानून बनाऐ हैं वे अमल में लाएं। उनके द्वारा कई कानून बने हुए हैं और जो स्टेच्युटरी बुक में हैं। दो-तीन महीने के बाद यह कानून सदन के सामने पेश होगा और उस समय आप फैसला कर दीजिए। हम कोई वैधानिक गलती भी नहीं करते हैं और जो वैधानिक आपत्ति उठाई गई है वह इसलिए भी वाजिब नहीं है

[श्री मथुरादास माथुर]

कि जो कानून हैं वे विधान के पहले बने हुए हैं। हम ऐसा कोई कानून नहीं बना रहे हैं जिससे इक्वेलिटी में कोई फर्क हो। सरकार अपनी तरफ से इनको खत्म करना चाहती है और वह एक कानून बनाना चाहती है।

वह मसविदा आपके सामने पेश हो चुका है और चन्द दिनों के बाद फिर विचार के लिए आ जावेगा। इस वक्त जितने हक सर्विसेज को देने चाहिए उसके लिए चाहे प्रगतिशील कानून बनावें, चाहे वही रक्खें; कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आप सिर्फ दो-तीन महीने का इन्तजार करें। पर आपने जो चर्चा इस बारे में की, मैं इतनी इसकी अहमियत नहीं समझता था। दो-तीन महिने के बाद जब नया कानून आ जावेगा तो ये बूंदी, जयपुर और मत्स्य के कानून तो अपने आप गिर जावेंगे। इस लिए मैं प्रगतिशील तत्वों से अपील करता हूं कि वे थोड़ा रुकें। इन दो-तीन महिनों में उनकी प्रगति की गति रुक नहीं जावेगी। यह मैं नहीं मानता कि आज प्रगतिशील तत्वों में प्रगति का जो उबाल आया है वह दो तीन महीनों में घट जावेगा। वह बढ़ेगा, घट नहीं जावेगा। इस तरह से ज्योंही दूसरा कानून अपने सामने पेश हो जावेगा ये ऑटोमैटिकली गिर जावेंगे; अगर नहीं गिरेंगे तो हम सब मिलकर गिरा देंगे, दूसरा ला देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—Mr. Modi.

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्षजी, आप लोगों के सामने यह जो बिल आया है इसमें और सब कानूनों को तो हटा दिया है पर तीन पुरानी रियासतों के यानि जयपुर, मत्स्य और बूंदी रियासतों के तीन कानून लागू रहेंगे और जैसा कि मेरे एक भाई ने बताया कि ये कानून पहले के हैं और उन्हीं को लागू किया जा रहा है। यह बिल्कुल अनुचित है। ये कानून जिस समय बनाये गये थे उस समय सामन्तशाही सरकारें थीं और इनकी बदौलत कितने ही देशभक्त आतंकित किये जाते थे। इनके अलावा इस समय तो और भी कितने ही ऐसे कानून थे परन्तु आज जो सरकार बनी हुई है वह तो जनता की चुनी हुई सरकार है और वह सरकार भी इसी तरह के कानून अगर आज सरकार की सर्विस करने वालों पर या जनता पर लागू करेगी तो वह जनता की सरकार नहीं कहलाई जा सकती। यह सरकार उसी तरह की सरकार कहलाई जावेगी जैसी सरकारें आज के ढाई वर्ष पहले या तीन वर्ष पहले हमारे इस प्रदेश में थीं, वे मनमाने दमनकारी कानून बनाकर जनता के साथ अन्याय करती थी परन्तु आज सारे हिन्दुस्तान में ऐसी जनता की सरकार बनने पर भी ऐसा कोई कानून पार्लियामेन्ट में तो दिखाई नहीं दिया कि तीन रियासतों में तो एक कानून हो और दो प्रान्तों म दूसरा कानून हो और चार प्रान्तों में और तरह का कानून हो। सारे हिन्दुस्तान के लोग यह चिल्लाते हैं कि हिन्दुस्तान में अलग अलग रियासतों में अलग अलग स्टेटों में इस तरह के कानून नहीं रहने चाहिये और राजस्थान के लोग भी यह चिल्लाते हैं कि इस तरह के कानून नहीं रहने चाहियें और अगर राजस्थान के एक कोने की जनता पर किसी तरह के कानून हों तो वे सारे राजस्थान पर लागू हों। ये तीन जगह ही लागू क्यों होते हैं? यही मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

कुछ दिन पहले ऐसा सुना गया था कि राजस्थान का एक पूरा ही कानून बनाया जावेगा, पर वह पूरा राजस्थान भर का कानून न बना कर इन तीन रियासतों के जो आज से आठ-दस साल पहले बने

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

हुए कानून हैं उन्हीं को कांग्रेस की सरकार जनता का विरोध करने पर भी, आज क्यों लागू कर रही है ? ऐसी सरकार जनता की सरकार नहीं कहलाई जा सकती। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि इस कानून को इन तीन जगह ही लागू नहीं किया जावे, आप राजस्थान भर में एक ही कानून बनावें। उसमें जो सारे राजस्थान वालों को नुकसान या फायदा होगा वही जयपुर वाले भी भुगतेंगे। जयपुर, मत्स्य और बूंदी में सर्विस करने वालों पर काफी कुठाराघात किया गया है; इसके बावजूद भी आज यहां जिस तरह का यह कुठाराघात किया गया है वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं आपसे, सरकार से और उस तरफ बैठे हुए अपने भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि इसको वे कोई पार्टी प्रश्न नहीं समझें तथा इस कानून को वापिस कर दिया जावे; इसी में हमारी शान रहेगी। हमारे उस तरफ के भाइयों को भी इस पर बोलना चाहिये और अगर सही बात हो तो इसको लागू करना चाहिये। परन्तु आज मेरी समझ में नहीं आता कि यह सही बात हो सकती है। आज सारे जयपुर में इस तरह की हड़ताल है और उस पर जयपुर के ऊपर इस तरह का कानून लाद कर अन्याय किया जा रहा है। दूसरी जगह कहीं इस तरह का कानून नहीं है तो यहीं लागू क्यों किया जाता है ?

मैं माननीय मंत्रीजी से भी यही प्रार्थना करता हूं कि इस कानून को तीन जगह लागू न किया जावे।

श्री भीमसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह जो एक्ट पास हो रहा है इसके बारे में मुझे ज्यादा लम्बी चौड़ी बात नहीं कहनी है। केवल दो बातें ही याद दिलानी हैं।

जिस ऑर्डिनेन्स के बारे में और खास करके जयपुर और बूंदी के कानूनों के बारे में फरमाया जा रहा है कि ये पहले के पास हुए २ हैं, एक तो सन् १९४१ में पास हुआ है और दूसरा सन् ४३ में तो इस पर उनको याद रखना चाहिये कि ये दोनों कानून कैसे वातावरण में पास किये गये थे। जयपुर का एक्ट सन् ४२ में पास हुआ है और बूंदी का सन् ४१ में पास हुआ है। जयपुर में सन् ४२ में जब वह एक्ट पास हुआ था तो वह समय सन् ४२ के आन्दोलन का समय था और जिसे हम बड़े गर्व से स्वतन्त्रता-संग्राम कहते हैं। इसी स्वतन्त्रता-संग्राम को कुचलने के लिए जयपुर के उस समय के दीवान सर मिर्जा इस्माइल ने यह ऑर्डिनेन्स पास किया था और आज इसी एक्ट के लिए हमारे वे कांग्रेसी साथी समर्थन कर रहे हैं जो जयपुर के हैं और जिन्होंने इसी काले कानून के विरुद्ध उस समय बड़े जोर से आवाज उठाई थी कि इस काले कानून को रद्द कर दिया जावे। आज मुझे बड़ा अफसोस और ताज्जुब हो रहा है कि वे ही जयपुर के कांग्रेसी भाई इस कानून को कायम रखने के लिए कह रहे हैं, इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा रहे हैं और इसी कानून को बनाये रखने में हां में हां मिला रहे हैं।

इसी तरह बूंदी का जो कानून पास हुआ था सन् ४१ में उस समय बूंदी में एक अंग्रेज सर रॉबर्टसन दीवान अर्थात् प्राइम मिनिस्टर था। उसी ने वहां की जनता को कुचलने के लिए यह कानून पास किया था। आज हमारे यहां अफसोस है कि बूंदी से तो कोई कांग्रेसी सदस्य आया नहीं। बाकी के जो कांग्रेस के सदस्य कोटा और बूंदी के आसपास के हैं वे सभी इस कानून से परिचित हैं कि इसको किस प्रकार जनता

[श्री भीमसिंह]

को कुचलने के काम में लाया जा रहा था। पर आज वे भी इसे रद्द कराने में मौन धारण किये बैठे हैं। क्यों नहीं वे इसके लिए मिनिस्टर साहब को बाध्य करते हैं ?

साथ ही साथ कांग्रेस दल के चीफ व्हिप साहब ने यह फरमाया कि आज इन बिलों का विरोध करने वाले कंवर साहब जसवन्त सिंहजी ने तो स्वयं ऐसे कानून बनाये थे। आज ही क्यों उन्हें इस पर रोष हो रहा है ? मैं कहता हूं कि उस समय महाराज गंगासिंहजी का राज्य था। हुक्म उनका ही चलता था। उन एक के ही मातहत उन्हें काम करना पड़ता था। पर आज हमारे मुख्यमन्त्री उनकी तरह एक के मातहत नहीं हैं। एकतन्त्र की सत्ता के मातहत वे नहीं हैं। हमारे मुख्यमन्त्री एक जनतन्त्र के मुख्यमन्त्री हैं, जनता की आवाज को मानकर चलने वाले हैं, वे किसी एक के हाथ म नही हैं। उनको आज क्या चीज बाध्य कर रही है? क्या वे आज जनतन्त्र के जमाने में एकतन्त्र की नकल करना चाहते हैं, जो आपके कहने के अनुसार एकतन्त्र राज्य के द्वारा आजतक जनता की बुराई करते आ रहे हैं ? उसी की क्या आप नकल करना चाहते हैं ? अगर आप उसी एकतन्त्र को अपना आदर्श समझते हैं तो ऐसा कहें। फिर सारे रास्ते भी आप वही अपनायें। एक तरफ तो एकतन्त्र का बाना पहनते हैं और दूसरी तरफ जनतन्त्र की तरह तरह से दुहाइयां देते हैं ! ये दो-दो घोड़ों पर चढना और दो-दो बाने पहनना कैसे चल सकता है ? यही ताज्जुब की बात मुझे लग रही है; इसलिये कांग्रेसी भाइयों से यह निवेदन है कि इस तरह के कानूनों का आप आज तक जिस तरह से घोर विरोध करते आ रहे हैं और जिनको सहा भी है आज से केवल तीन-चार साल पहले तक, अब तीन-चार साल बाद ही उन्हीं काले कानूनों की तारीफ करने और प्रतिपादन करने में कैसे लग रहे हैं ? क्या उन्होने अपनी विचारधारा या सिद्धान्त बदल दिये हैं ? यह उनके लिये विचार करने की आवश्यकता है, यह मैं याद दिला रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी—उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मित्रों ने इस कानून के बारे में, एसेन्शियल सर्विसेज एक्ट के बारे में जो कुछ कहा है मुझे इस विषय में तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है परन्तु उन्होंने हमारे दृष्टिकोण के बारे में जो कुछ सवाल किये हैं उनका जवाब मैं देना चाहता हूं। जवाब में मेरा केवल यह निवेदन है और हम यह मानते हैं कि उस जमाने में यह कानून जनता की आवाज को दबाने के लिए, प्रगतिशील तत्वों को कुचलने के लिए बनाया गया था और आज हम इस कानून का उपयोग उन लोगों के लिए करना चाहते हैं जो अप्रगतिशील हैं और देश विरोधी हैं और ध्वंसकारी है। पहले के जमाने में जो बन्दूकें और तलवारें देशभक्तों और शहीदों के लिए काम आती थी आज हम उन्हीं तलवारों और बन्दूकों का प्रयोग ध्वंसकारी और देशविरोधी तत्वों पर करना चाहते हैं ...

कु० श्री जसवन्तसिंह—डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी जैसे व्यक्तियों पर भी।

श्री हरिदेव जोशी—(अपना भाषण जारी रखते हुए) उपाध्यक्ष जी, आज स्थिति यह है कि जिस पैसे से आप जहर खरीदना चाहते हैं उसी से आप खाने-पीने की चीज भी खरीद सकते हैं। कानून तो अपने आप में किसी तरह पूरा नही हो सकता। उसका अमल किस प्रकार किया जायगा, यह सवाल हमारे सामने होना चाहिये। कांग्रेस सरकार यह मानती है कि कैसा भी कानून हो उसका उपयोग जनता

[श्री हरिदेव जोशी]

के हित के लिए किया जायगा न कि जनता के हित के विरोध में। इसमें तो सरकार की मन्शा का सवाल है। सरकार स्वयं ऐसी हालत में कसौटी पर होती है न कि कोई कानून। सरकार यदि कानून का दुरुपयोग करती है तो सरकार बदनाम होती है, न कि कानून। कानून यदि कोई अच्छा भी हो, अगर सरकार इसका सदुपयोग नहीं कर सकती तो सरकार बदनाम होती है, न कि कानून।

वास्तव में जो यह बात कही गई कि यह कानून सर मिर्जा इस्माइल और सर रॉबर्टसन द्वारा बनाये गये थे, सही है। किन्तु आज की सरकार इस कानून का उन लोगों पर हर्गिज उपयोग नहीं करेगी जो देश के प्रगतिशील तत्व हैं और देश की बहबूदी और तरक्की के लिए काम करते हैं, बल्कि यह कानून उन लोगों पर अमल में लाया जायगा जो देश में विध्वंसकारी तत्व हैं और देश की प्रगति में रोड़े अटकाना चाहते हैं, देश की तरक्की में रोड़े अटकाना चाहते हैं। इसलिये हमको यह स्वीकार करना चाहिये कि देश में अभी भी ऐसे देश-विरोधी और साम्प्रदायिक तत्व हैं जो ऐसी खुराफातें पैदा करते रहते हैं, जिनसे हमारे देश को हानि होने की संभावना है। जिनको हम अप्रगतिशील कह सकते हैं उन तत्वों के खिलाफ इस प्रकार का कानून होना जरूरी है, यह बात हमें अवश्य समझनी और सोचनी चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी––ऑन ए पाइन्ट आफ ऑर्डर, सर, यह जो घूसखोरी की बात कही गई है क्या वह सारे राजस्थान के लिए लागू नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी––(अपना भाषण जारी रखते हुए) उपाध्यक्ष जी, मैंने "घूसखोरी" शब्द का प्रयोग ही नहीं किया है। इसी प्रकार मेरे मित्र ने पहले भी यह कहा था कि पार्लियामेंट में इस बारे में कुछ दिखाई व सुनाई नहीं दिया। यह तो उनके कर्णेन्द्रिय अथवा श्रवणेन्द्रिय पर निर्भर है कि उनको कोई चीज दिखाई दे या न दे, कोई चीज सुनाई दे या न दे। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सवाल हमारे सामने यह होना चाहिये कि कानून का उपयोग किस रूप में होता है, यह सवाल सब से पहले हमें ध्यान में रखना चाहिये। अब सवाल यह है कि कुछ दिनों के बाद में हमारे सामने एक कानून आने वाला है, उस कानून को यह स्वीकार करता है अथवा नहीं। यह तो हम लोगों की इच्छा पर निर्भर है कि हम उस कानून को राजस्थान के अन्दर लागू करना चाहते हैं या नहीं? रहा सवाल अब सिर्फ दो-तीन महिने का जब तक कि वह कानून हमारे सामने विचारार्थ नहीं आ जाता तब तक का। जब कि बिल हमारे विचारार्थ आयगा, हम बिल को स्वीकार करेंगे या नहीं; अगर अस्वीकार करेंगे तो यह अपने आप गिर जायगा, तो फिर इसको रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। हमने जब इस बिल के लिए जनता की राय मांग ली है और जो बिल सरकार द्वारा रखा गया है वह पास होकर रहेगा तो ऐसी स्थिति में जो ये एक्ट्स बूंदी और जयपुर या दूसरे राज्यों ने स्वीकार किये हैं उनको ताक पर रख दें, यह कदापि उचित नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि यह तो कांग्रेस की भावनाओं पर निर्भर है और कांग्रेस की हुकूमत पर निर्भर है कि वह इन कानून के जरिये, उन हथियारों के जरिये जिनका आप उपयोग देश-हितकारी और जनोपयोगी कार्य करने वालों पर प्रयोग किया करते थे, आपका दृष्टिकोण उनको कुचलने का था किन्तु हम अपने विशेष दृष्टिकोण द्वारा इसी हथियार

[श्री हरिदेव जोशी]

का उपयोग उन लोगों पर करना चाहते हैं जो देश में विध्वंसकारी तत्व हैं, जिनको हम अनुपयुक्त समझते हैं।

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १३)--अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बिल की सिलेक्ट कमेटी में था और मेरा भी नोट ऑफ डिसेन्ट इसके साथ है। मैं हर मीटिंग में इसका विरोध करता रहा हूं। जिस प्रकार की डिबेट आज इस पर हो रही है, उससे तो यह पता चलता है कि जिस तलवार को आप मित्र के लिए काम ला सकते हैं उससे आप दुश्मन का भी काम कर सकते हैं। इस प्रकार के आर्ग्युमेन्ट जो असेम्बली में दिये जाते हैं वे यहां पर शोभा नहीं देते। साइन्स का उपयोग भले काम के लिए भी किया जा सकता है और बुरे काम के लिए भी। इसका मतलब यह हुआ कि हम तो भले हैं और दूसरे आपको बुरे ही बुरे नजर आते हैं। इस तरह के आर्ग्युमेन्ट्स से यहां पर काम नहीं चल सकता। हर एक कानून आने वाली पीढ़ी को यह बतायगा कि उस वक्त हमारे समाज का नैतिक स्तर कैसा था, उस समय के समाज का चित्र कैसा था, उस वक्त क्या क्या कानून प्रचलित थे; इन बातों से जाना जायगा। हम जब राम-राज्य की कल्पना करते हैं तो हमें पता चलता है कि राम-राज्य के अन्दर दंड यत्ति के हाथ में था। उसी प्रकार हम उस समय के समाज का चित्र बना सकते हैं। आज के इस कानून को देखते हुए हमारे भावी पीढ़ी यह सोचेगी की कि राजस्थान में ऐसे ही लोग मौजूद थे जिनके लिए यह कानून बनाया गया। उससे हमारे समाज के इस समय का चित्र उनको मालूम होगा। हेबिच्युअल ऑफेन्डर्स बिल (Habitual Offenders Bill) भविष्य में उन लोगों को यह बतायगा कि हिन्दुस्तान के लोग कितने खराब थे? लोगों का सामाजिक चित्र (Essential services) जैसे दमनकारी कानूनों को देख कर भली प्रकार चित्रित हो जायगा कि इस समय लोग कैसे गिरे हुए थे। आज की डिबेट का स्तर, ऐसा मालूम होता है जैसे कि किसी स्कूल में डिबेट हो रही है। इस तरह की डिबेट से हमारे यहां काम नहीं चल सकता। मेरे मित्रों को यह समझ लेना चाहिये कि यह हमारे भविष्य के लोगों को बताने वाला कैसा चित्र है, ताकि जनता को पता चल सकेगा कि हमारे यहां पहले कैसे कैसे कानून थे।

दूसरा आर्ग्युमेंट हमारे मित्र ने यह दिया कि एक दो महिने में हमारे सामने एक बिल आने वाला है, उसके आने के बाद यह अपने आप खारिज हो जायगा। तो मेरा निवेदन है कि आप अभी इतने इस विषय में गंभीर क्यों हैं? आज आपके सामने ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई है जिससे आपको रिप्रेसिव एण्ड अन्-डेमोक्रेटिक चीज को आपको लाने की आवश्यकता पड़ी। यदि आप चाहते तो आप अपने बहुमत के बल पर पहले भी इस बिल को पास करवा सकते थे लेकिन उस समय आपने दिल में सोचा था कि यदि यह पास कर दिया जायगा तो यह बड़ा खतरनाक होगा, बड़ा भयानक होगा; इसलिये इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये भेज दिया गया। उस समय भी आप ही सब लोग उपस्थित थे, आप बिना किसी झिझक के इसे पास कर सकते थे लेकिन उस समय मंत्री लोग इस बिल को पास करके अपने नाम पर कलंक नहीं लगाना चाहते थे। सिलेक्ट कमेटी ने आपकी तरह एडेमेन्ट पॉलिसी अख्तियार कर ली थी। सिलेक्ट कमेटी में भी यही कहा जाता रहा कि यह पास करना है, अभी करना है। ऑपोजिशन की बातें चाहे ठीक हों या न हों, उनकी तरफ आपने कभी ध्यान देने की बात सोची ही नहीं। जब आपके सामने एक-दो महीने

[श्री भैरूंसिंह वि० सं० १३]

बाद स्टेट सिक्यूरिटि बिल आने ही वाला है तो फिर आपको इतनी जल्दी करने की क्या आवश्यकता है ? इसलिये में निवेदन करूंगा कि इसे वापिस लिया जाय ।

इसकी पृष्ठभूमि से ही इसकी दमनकारी नीति साफ मालूम होती है । ब्रिटिश साम्राज्य में चर्चिल भी इसी तरह की दमनकारी नीति काम में लाना चाहते थे, तो कांग्रेस ने उस समय उस वार (War) में सहयोग नहीं दिया, लेकिन वे (ब्रिटिश) जबरदस्ती लोगों से काम लेना चाहते थे, जो नेशनल्स थे, जो कांग्रेस की विचारधारा के आदमी थे, वे उसके विरोध में थे । उनके दमन के लिए जो चीज थी वे अब उसी को अपना कर उसी चर्चीलियन नीति को याद कराना चाहते हैं जिससे वे लड़ चुके हैं, उसी को वे अपना गुरू मानते हैं । मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि इस एक्ट के लाने में हम जिसके लिए लड़ चुके हैं, जिस आदर्श को खिलाफत कर चुके हैं, उसी को अपनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। यह बहुत बड़ी खराबी की बात है। यह वार टाइम मेजर्स (War time measures) है, उन्हें पीस टाइम (Peace time) में नहीं लाना चाहिये, युद्ध के समय के एक्ट्स रिप्रेसिव एक्ट्स (Repressive Acts) होते हैं। उस वक्त यह मेजर्स एन केन प्रकारेण युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिये लाये जा सकते हैं, लेकिन शान्ति के समय में, युद्ध के समय के मेजर्स (measures) काम में लाना कितनी बड़ी भूल है । क्या यह हमारा रिप्रेसिव एटिट्यूड (Repressive Attitude) नहीं है ? मैं निवेदन करूंगा कि एक बार इस एक्ट को लिस्ट में सम्मिलित किया गया है तो उसको सम्मिलित रखा जाय । पहले इसको ले लिया और बाद में मालूम नहीं कि क्या बात हुई, क्या परिस्थिति पैदा हुई, कि इसको लिस्ट में रिपीलिंग एक्ट में नहीं रखा और उसके बजाय इसको हटा दिया । अतएव अब फिर इसको सोच समझकर रिपीलिंग एक्ट के अन्दर लिया जाय ।

श्री ईश्वरीसिंह--अध्यक्ष महोदय, मैंने देख्या है कि बड़ा बड़ा आदम्यां ने बेहस कर ली तो मैं भी खड़यो होऊं । पुराणी मिसालां ई तरह की है । आज तो प्रजातन्त्र की नींव डालने की बात है, और हरेक ने मौका पे लगाई जाय तो ज्यादा बढ़िया है । प्रजातन्त्र की ई में आप बहुत बड़ी नींव डाल रिया हो, बहुत बड़ी आपसे उम्मीद कर रिया है । तो इस्या कानून बन्योड़ा है, जिका कानून बन्योड़ा है वे आपकी भलाई कर रिया है तो फिर प्रजातन्त्र के माथे कलंक क्यूं लगायो जाय । (हियर-हियर व हंसी)

हिटलर और राजाओं का राज हा तो आपण जानता हा जिका कानून बनाया जाता । वकील बहस करता हा, और बेहस से पेलां मुकद्दमा में कोई बात पड़े फेर जिका कानून तीनां रियासतां में हा तो फेर क्यूं बनाया जाय । राजस्थान में बुरा और भला बन्या होगा । आप लोगों प बहुत बड़ा होंसला हो और माने खबरां मिली कि आप बहुत बुद्धिमानी से काम करोगा, पर या बुद्धिमानी की बात नहीं है । पेलां तीन रियासतां में जो कानून हा वे कानून की अब कांई जरूरत है जिकांरे हाथ में सत्ता है वे बिना कानून भी चावे ज्यूं कर सके है, क्योंकि आज १०-१५ आदमियां की गिरफ्तारी की गी है । कानून पास कराया जाय । पेलां भी कर दिया । सत्ता हाथ में है वे जिका चाहे कर सके है । फेर यह प्रजातन्त्र की नींव बिगाड़नी है । या देखबा में बहुत भारी इचरज की चीज है । फेर भी प्रजा तहसनहस नहीं होगी । वे समझे है कि प्रजा तहसनहस हो जायगी पर प्रजा तो बसती ही रेगी । रावण जेड़ा राक्षस बड़ा बड़ा होगिया

[श्री ईश्वरीसिंह]

हैं तो भी प्रजा अठे ही री है। (हंसी) प्रजा अठे ही रहेगी। कानून बणा कलंक लगायो जाय कांग्रेस के तो भले ही लाग सके है। (करतल ध्वनि)

श्री घीसीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, आज जो कानून हाउस के समक्ष पेश किया है, वह उचित मालूम पड़ता है। इधर से उधर, हाउस के दोनों दल के सदस्य राजस्थान के कर्णधार हैं और उन कर्णधारों के विचारों में जो कुछ अन्तर है वह सब के दृष्टिकोण में है। आज यह बात कही जा रही है कि राजाओं के जमाने में यह कानून बना और इस कानून का विरोध किया। मेरे ख्याल से कानूनों का विरोध नहीं किया, बल्कि उस हुकूमत का विरोध किया जिस हुकूमत को हम नहीं चाहते थे। आज भी कानून का कोई विरोध नहीं। अगर हुकूमत अच्छी होगी तो उस हुकूमत का विरोध नहीं होगा। अगर उस हुकूमत का विरोध हुआ तो वह हुकूमत अच्छी नहीं थी। विरोध हुआ उस हुकूमत का, उन कानूनों का नहीं। यह बात कही गई है कि यह कानून फन्डामेन्टल राइट्स (Fundamental rights) के छीनने के लिये लगाये हैं, नागरिक अधिकारों को छीनने के लिये लगाये हैं, लेकिन कानून हमेशा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और शांति के लिए बनाये जाते हैं, आज मनु से, राम से, कृष्ण से और कहीं से भी कानून देख लिये जांय, बड़े बड़े कठिन दण्ड जहां मनु महाराज ने बनाये, तप्त लोहे से चिपकाये गये, सूली से चढ़ाये गये इत्यादि। क्या ये ज्यादा कठिन हैं या यह काला कानून ? (विपक्षी दल की ओर से "हियर हियर") उससे ज्यादा काला यह कानून है, तो फिर बतलाइये कि किस तरह से यह काला कानून है ? शान्ति और सुरक्षा का यह जो कानून है क्या उसे आप काला कानून कहते हैं ? लेकिन यह जो तत्व जनता को भ्रम में डालने वाले हैं, जनता में अशांति पैदा करने वाले हैं, ऊधम मचाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हैं, उनके दमन के लिये, जनता की शान्ति के लिये, अगर कोई चीज पैदा की जाती है तो वह कहते हैं कि काला कानून है ! कानून काला कैसे होता है ? (करतल ध्वनि)...

एक आवाज—कानून धोला होता है। (हंसी)

श्री घीसीसिंह—जो यह बुराई करने वाले हैं, जिनके हृदय में बुराई है वह कानून से डरते हैं। जो सच्चे, ईमानदार और अच्छे हैं, नेक रास्ते पर चलते हैं, उनके सिर के ऊपर कभी भी कानून नहीं लगता है, न उन लोगों को कभी कोई इसका ख्याल होता है। उनके लिये तो उन कानूनों को अलमारियों में रखे रखे झींगुर खा जायं। (हंसी) जिनके अन्दर चोर हैं, डाकू हैं, जिनके अन्दर अनेक बुराइयां हैं, वे कानून से डरते हैं। अच्छे आदमी का काम कानून से डरने का नहीं है। इसलिये बदमाशों को दण्ड देने के लिये कानन अवश्य बनाये जांय। जय हिन्द।

श्री रूपनारायण शास्त्री—मुझे आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है कि जो इसके पोषक हैं, जो इस कानून के समर्थक हैं वे भी इस कानून को जैसा मानते हैं वह पूर्व वक्ताओं से स्पष्ट हो चुका है कि कानून तो दोषपूर्ण होते हैं, लेकिन हम इनका उपयोग अच्छे तरीके से करेंगे। अगर यह बात नहीं होती तो उन्हें यह बात बराबर कहने और पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं होती कि कानून अच्छा होता है। अगर उपयोग करने वाला

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

अच्छा होता है तो अच्छा बन जाता है। कानून अच्छा हो या बुरा अगर,अच्छा उपयोग करने वाला है तो कानून अच्छा है और उसका उपयोग बुरी नीयत से होता है तो बुरा हो जाता है। उसके लिये हमारी नियत प्रधान है, कानून की प्रधानता इसके वास्ते नहीं है; यह उनके भाषणों से बराबर स्पष्ट हुआ है। उन्होंने बराबर यही कहा है कि कानून को काम लेने वाले की नीयत जैसी होती है वैसा ही उसका फल होजाता है। इसको ठीक मानलें तो यह हुआ कि अगर कानून से काम लेने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है तो वह कानून श्रेष्ठ है। तो हम यह समझते हैं कि जो कानून से काम लेने वाला है वह श्रेष्ठ है या नहीं,यहां उसपर बहस होनी चाहिए।

जो भावना विरोधी दल ने इसमें आपत्ति करने में व्यक्त की है उसका कारण यह है कि यह संदेहास्पद है। यदि आप अच्छे कानूनों को बुरी भावना से काम में ला सकते हैं तो इस बुरी भावना के कारण उसके अच्छे होने का कोई महत्व नहीं रह जाता। जो कानून रिपील हो रहे हैं उनका कारण यह है कि राजस्थान का एकीकरण हो गया है और इसलिये सब कानूनों को एक कर दिया जाय,यह ठीक है, राजस्थान में जितने कानून थे उन्हें हटा दिया जाय और उनकी जगह नये कानून बना दिये जांय। यह मैं दुरूस्त समझता हूं और अगर उसके लिये कोई आपत्ति है तो वह अनुचित है। यह क्यों अनुचित है? यह इसलिये अनुचित है कि पहले भिन्न भिन्न रियासते थीं और वहां पर भिन्न भिन्न तरह के कानून चलते थे और क्योंकि अब एक रियासत हो गई है इस लिये यहां पर भिन्न भिन्न तरह के कानून न चलकर एक ही तरह के कानून चलने चाहिये। अब विभिन्नता नहीं रह सकती। यदि ये कानून बन जाने पर भी पक्षपात रह जाय तब तो वही बात हुई जो मेरे एक मित्र ने कही कि एक आदमी एक पद पर काम करता है और उसी पद पर आदमी काम करने जाता है। पहले आदमी को ४०० रु० माहवार वेतन के मिलते हैं क्यों-कि वह बीकानेर या जोधपुर का है और जब दूसरे स्थान का यानी जयपुर या मत्स्य का आदमी उसी स्थान पर काम करने आता है तो उसको ५० रु० माहवार वेतन दिया जाता है। इसे अगर पक्षपात नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वस्तुतःबात यह है कि जयपुर,बूंदी और मत्स्य आदि में जो कानून बने और कानून रायज हुए वे सर्वथा उपयुक्त थे। राजस्थान में कौन से ऐसे कानून थे जो सर्वथा अनुपयुक्त थे और यदि अनुपयुक्त थे तो आपके पास इसका क्या प्रमाण है। वे सब उपयुक्त थे और यदि वे सब उपयुक्त थे तो वे उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा निर्मित थे और इसलिये उन्हें सदोष बताने का आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि वे सदोष थे तो उनमें रुकावट होनी चाहिये थी। जयपुर जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर आदि सब स्थानों पर कानूनों के निर्माता उपयुक्त व्यक्ति थे, तो क्या नीति खराब थी? जोधपुर में भी अच्छे आदमी थे। उन्होंने भी जनता का भला किया होगा। उनके बनाये हुए कानून थे, उनको तो हटा दिया गया। कई स्थानों के कानूनों के लिये तो यह कहा गया कि इन कानूनों को काम में नहीं लायेंगे, लेकिन जयपुर और मत्स्य के कानून काम में लेंगे। जब भिन्न भिन्न रियासतों में कानून निर्माताओं की योग्यता और उनकी नीति पर हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है तो यह कह देना कि हम उनको काम में नहीं लायेंगे, कहां तक उचित है? आज आप उन्हें विध्वंसक कैसे बता रहे हैं? यह आक्षेप क्यों विध्वंसक मानने के

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

लिये आपकी नीति है ? आप उनको विध्वंसक मानकर उन्हें अनुपयुक्त सिद्ध करना चाहते हैं । इसलिये मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में यदि ये कानून अच्छे हैं तो सब जगह रहने चाहिये । यदि आप अपनी नीयत के कारण उन्हें खराब बताते हैं तो इस पर आपत्ति हो सकती है । जो लोग बार बार यह कहते हैं कि विध्वंसकों के लिये कानून का उपयोग किया जायगा तो आप अपने साथियों को विध्वंसक मानते हैं और अपने आप को जनहितैषी मानते हैं । अपने मुंह से ही आप यह कहने लगेंगे कि हम अच्छे हैं, हम जनहितैषी हैं, तो इसे कोई मान नहीं सकता । यह तो जनता ही साबित करेगी कि आप जनहितैषी हैं या नहीं । जैसा कि जयपुर की जनता ने पिछले पांच दिनों की हड़ताल से साबित कर दिया ; आपकी मिनिस्ट्री अच्छी है यह यहां की जनता ने साबित कर दिया है और कर रही है । जब यहां की जनता की आपके सम्बन्ध में इस प्रकार की धारणा है तब आप कैसे कह सकते हैं कि हम जनहितैषी हैं और दूसरे विध्वंसक हैं । ऐसा कहना योग्य और अच्छे आदमियों का काम नहीं है। इसलिये इतना ही कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं । मैं तो इस कानून का विरोध करता हूं क्योंकि यह बुरी नीयत से हमारे सामने रखा गया है । इसका पहले भी विरोध हुआ और आगे भी विरोध होगा ।

श्री किशनलाल शाह—अध्यक्ष महोदय, लॉज रिपीलिंग बिल के सिलसिले में एसेन्शियल सर्विसेज मेन्टेनेन्स ऑर्डिनेन्स को चालू रखने के संबन्ध में जो बातें कही गईं उनमें एक बात बिल्कुल साफ थी और वह यह थी कि विरोधी पक्ष के सर्व प्रथम वक्ता ने यह माना कि जिस समय अंग्रेजों के जमाने में इस तरह का कानून बनाया गया उस वक्त कांग्रेस दल देश भक्त था और वह दल सरकार से लड़ रहा था कि ऐसे काले कानून न बनाये जायें और साथ ही साथ जो अनुमोदन करने वाले अगर और मगर के साथ उठे उन्होंने यह कहा कि प्रतिक्रियावादी कानून जो लग रहे थे उनको वापिस हटाने के लिये उन देश भक्तों ने प्रयास किया । उस दल के जिम्मेदार लोगों ने आज यह माना कि कॉग्रेस वाले देश भक्त, प्रगतिशील और जनता की सेवा करने वाले थे और जिन्होंने इस प्रकार के कानून बनाये थे वे प्रतिक्रियावादी थे । मुझे इस बात की खुशी है कि आपने यह माना कि इस दल के लोग सच्चे देश-भक्त और प्रगतिशील थे ।

श्री भैरूंसिंह—मैंने अपनी तरफ से उनको देशभक्त नहीं बताया वे अपनी पार्टी में अपने आप को देशभक्त समझते थे ।

श्री किशनलाल शाह—अब वे मानें या न मानें । खैर । दूसरा पोइन्ट यह आया था कि इन कानूनों को तीन ही स्टेटों में क्यों रखा जाता है, क्यों नहीं सारे राजस्थान में लागू किया जाता ? मेरे दिमाग में यह दलील नहीं बैठी कि जब १०० डाकुओं को पकड़ने के लिये यदि कोई कानून नहीं आ सकता है तो तीन ही डाकुओं को पकड़ने में इसका उपयोग क्यों किया जाय ?

यह नहीं हो सकता कि अगर डाकू नहीं पकड़े जा सकते हैं तो उनको पकड़ने के लिये कानून भी काम में नहीं लाया जा सकता । वास्तव में कानून काम में लाया जा सकता है ।

[श्री किशनलाल शाह]

अभी एक सदस्य ने यह कहा कि बहुत से लोग अपना जामा बदल कर साधु के वेष में आते हैं, क्या उसी प्रकार कांग्रेस के सदस्यों ने भी अपना जामा बदल लिया ? बहुत से लोग पहले प्रगतिशील थे, उन्होंने भी अपना जामा बदल लिया। मैं यह कहूंगा कि न तो हमने किसी प्रकार का जामा बदला है और न बदलने की हमारी इच्छा है। देश-सेवा, जनता की रक्षा करना आदि के उत्तरदायित्व को पूरा करने का हमारा जो जामा है वही हम पहने हुए थे और अब भी पहिने हुए हैं। हमको अब भी उसी सिद्धान्त और भाव में पावेंगे। यदि मान भी लिया जावे कि इन कानूनों का दुरुपयोग होता है तो मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये कानून उन्हीं लोगों के लिये हैं जो दुश्चरित्र हैं और उनके लिये ऐसे कानून की आवश्यकता भी है। अगर हमारे देश को हमें दुश्चरित्र लोगों से बचाना है, गरीबों को शोषण से बचाना है तो इस प्रकार के कानून को लगाने की आवश्यकता है।

डा० मंगलसिंह (९४)—माननीय उपाध्यक्ष, यह कानून जो सदन में आया है वह अच्छा नहीं है (करतल ध्वनि)। किसी भी पूर्ण सभ्य देश में यह कानून, इस प्रकार का कानून होना या बनना उचित नहीं। विरोधी दल की ओर से करतल ध्वनि में इसे उसी तरह से मानता हूं जैसे कि पूर्ण सभ्य देश में फौज रखने की भी आवश्यकता नहीं है, पूर्ण सभ्य देश में पुलिस रखने की भी आवश्यकता नहीं है, पूर्ण सभ्य देश में दरअसल बहुत कम कानून कीआवश्यकता होती है। जहां कानून की आवश्यकता नहीं पड़े वहीं पूर्ण सभ्य देश होता है। या यों कह दिया जाय कि पूर्ण सभ्य देश में बहुत कम कानून होते हैं। लेकिन जब तक गर्मी की बिमारी लोगों में होती है तब तक आर्सेनिक (संखियां) रखना पड़ता है। जब तक इस प्रकार के मनुष्य, जिनको कि ऐसी बीमारी है उनको ठीक करने के लिये जहर की आवश्यकता पड़ेगी। महात्मा गांधी का विचार था कि प्रशासन में फौज रखने की आवश्यकता ही नहीं इसमें कोई शक नहीं कि महात्मा गांधी के स्वप्न जैसा स्वराज्य एवं शासन जिस देश में होगा उस देश में फौज रखना अनावश्यक और धर्म की बात होगी, लेकिन देश के पूर्ण सभ्य होने पर ही ऐसा हो सकता है।

कुछ मित्रों ने यह कहा कि ऐसे कानून उस जमाने में अंग्रेजों और राजाओं ने बनाये। मैं यह कहूंगा कि उन राजाओं ने सब काम खराब ही खराब नहीं किये (विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि) कुछ अच्छे भी किये। जो आवश्यक और अच्छे किये उनको हमें ग्रहण करना चाहिये और जो अनावश्यक और अच्छे नहीं हैं उनको ग्रहण नहीं करना है। लेकिन जो राज्य करते हैं और जिन पर लोगों की रक्षा का भार है उन्हें कानून तोड़ने वालों के लिये कुछ न कुछ उपाय रखना ही पड़ता है, चाहे वे फौज की शक्ल में हों या वह पुलिस की शक्ल में हों और उन्हीं लोगों के लिये इस प्रकार के कानून की आवश्यकता पड़ती है। जो लोग अच्छे नागरिक हैं, उनके लिये ऐसे कानून की आवश्यकता नहीं होती है और उनको ऐसे कानून से डरने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिये। कानून उन्हीं लोगों के लिये हैं जो अच्छे नागरिक नहीं हैं और न अच्छी तरह अच्छे नागरिकों को रहने देते हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि आप लोग यह सोच कर कि यह कानून उन गैर जुम्मेदार और दुष्टों के लिये है जिनके लिये भागवत गीता में भी कहा गया है कि जहां धर्म का ह्रास होता हो वहां दुष्टों को अवश्य

[डा० श्री मंगलसिंह]

दंड दिया जाना चाहिये। जो कानून को तोड़ते हैं और दूसरों का बुरा करना अपना धर्म समझते हैं, दूसरों का गला काटना, दुख देने में जो योग देते हैं उनके लिये, जनता की रक्षा करने के लिये, ऐसे कानून बनाना आवश्यक है ।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—ओन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अभी मेरे मित्र ने ऐसा फरमाया कि ऐसा काला कानून दुष्टों के लिये बनाया जाता है ।

डा० श्री मंगलसिंह—मैंने काला कानून नहीं बताया । मैंने सिर्फ कानून ही कहा है ।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—आपने दुष्टों के लिये कहा है ।

डा० श्री मंगलसिंह—दुष्टता का किसी एक ने ठेका नहीं लिया है । मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता ।

श्री भैरूंसिंह (१६)—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यह डिबेट आउट ऑफ पोइन्ट हो रही है । यहां पर सर्विसेज़ के बारे में कहने का प्रश्न है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को सर्विसेज के बारे में ही बोलना चाहिये । इस प्रकार की दुष्टता सर्विसेज़ में नहीं होती ।

डा० श्री मंगलसिंह—सर्विसेज़ में भी ऐसा हुआ है । जब सर्विसेज में ऐसा होता है तो जनता को तकलीफ होती है और जनता की तकलीफ को मिटाने के लिये, ऐसा चाहे बाहर हो चाहे अन्दर हो, क्षम्य नहीं हो सकता है । मैं इस डिबेट को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता । मैं इस सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वातावरण को देखते हुए दुःख के साथ इसको मंजूर कर लेना चाहिये ।

राज श्री हिम्मतसिंह—मैं सिर्फ दो मिनट बोलना चाहता हूं । उसके बाद श्री जसवन्तसिंह जी डिसेन्ट पेश करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—मंत्री महोदय इसका जवाब दें ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—बोलने दिया जाय ।

श्री मथुरादास माथुर—मेरा क्लोजर मोशन इनके बोलने के बाद समझा जाय ।

श्री चन्दनमल वैद (उप-न्याय मंत्री)—Closure motion has already been moved.

राज श्री हिम्मतसिंह—गवर्नमेंट की तरफ से यह बिल आया है । एसेन्शियल सर्विसेज ऑर्डिनेन्स चार रियासतों में बनाया गया था । आप तीन का जिक्र कर रहे हैं, अलवर अलग है और मत्स्य अलग है ।

यह गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया गया था और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने उस पर अच्छी तरह विचार करके पेश किया था । जिस समय यह बिल पेश किया गया था उस समय सरकार की

[राज श्री हिम्मतसिंह]

विचार धारा यही थी कि यह कानून नहीं रहना चाहिये । सरकार का यह विचार बाद में परिवर्तित हुआ और हम नहीं समझते कि इस विचार में परिवर्तन होने का क्या कारण था । बगैर कारण के तो कोई कार्य होता नहीं । इसमें सिर्फ तीन स्थानों के नाम दर्ज हैं । उन तीनों स्थानों पर यह लागू रहेगा और अब यह कहा जाता है कि सिलेक्ट कमेटी की सिफारिश के अनुसार यह रहना चाहिये । इस संबंध में इसका बेक ग्राउन्ड भी बतलाया गया और काफी वाद-विवाद हुआ और जरूरत से ज्यादा वाद-विवाद हुआ । मगर फिर भी इस बात पर जोर दिया गया कि एसेन्शियल सर्विसेज् ऑर्डिनेन्स तीन रियासतों में बदस्तूर रखे जावें । क्या कारण है कि जब सारे राजस्थान के लिये कानून बनने वाला है तो फिर उन पुराने कानूनों को उन तीन स्थानों पर ही क्यों रखा जावे । मैं समझता हूं कि जो कानून आने वाला है उसके लिये यह ग्राउन्ड तैयार किया जाता है । ओरिजिनल बिल में सरकार की जो मंशा थी वह यह नहीं थी जो कि अभी है और मैं समझता हूं कि उधर के लोग भी इसे मानते हैं । मगर कहते हैं कि जब राजस्थान भर के लिये इस प्रकार का कोई कानून बनेगा तब यह स्वयं रिपील हो जावेगा । अगर मानलें कि ऐसा कोई कानून पास नहीं हुआ ....

श्री चन्दनमल बैद—पास नहीं होगा तो फिर भी रिपील कर दिया जायगा ।

राज श्री हिम्मतसिंह—उस समय आपको तीन महीने और लगेंगे । जब आप रिपील कर देंगे तो खामोख्वाह इसमें क्यों चक्कर लगाया जा रहा है ।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं सिर्फ दो बात ही कहना चाहता हूं । इस विषय पर जो वाद-विवाद हुआ है उसकी इतनी आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन बताया गया कि किसी के दिमाग में यह बात नहीं बैठी । अगर किसी का दिमाग पत्थर ही का हो, किसी का दिमाग ही अगर पाषाण का हो और जिसके अन्दर कोई बात बैठे ही नहीं तो हमारे ऊपर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है । यह तो आपके ऊपर ही है कि आप उस बात को अच्छी तरह से बिठायें । दिमाग अगर खोखला है, थोथा है तो यह काम किसी और का नहीं हो सकता है कि वह आपके दिमाग में बिठाए । अभी तक हमें तो गरमी का होना इस ओर तो प्रतीत नहीं हुआ बल्कि अगर उस ओर हुआ है तो वे अपने तक ही सीमित रखें । मैं उन्हें कहूंगा कि वे इस बात को ध्यान में रखें ।

इसके अलावा मैं सदन से निवेदन करना चाहता था कि अब यह कहा जा रहा है कि यह काला कानून नहीं है जब कि पहले इसको काला कानून कहा जा रहा था । "काला कानून नहीं है" ऐसा कहने वाले सदस्य क्या उन दिनों को भूल गए हैं जबकि वे गला फाड़-फाड़ कर कहे जा रहे थे कि यह काला कानून है, जिसे लागू नहीं किया जाना चाहिये; किन्तु अब सदन के उस ओर के सदस्य यह जोर देकर कह रहे है कि यह काला कानून नहीं है । आज परिस्थिति बदल जाने के बाद वे कह रहे हैं कि यह काला कानून नहीं है। आपके सन्मुख जो चीज प्रस्तुत है उसको बाहरी वेष से न देखें, बाहरी पोषाक से आप उसको न देखें। आज आपकी

[श्री जवानसिंह]

यह भावना क्यों है ? आपके ख्यालात जिस वक्त आपने जनता की सेवा की, जिस वक्त आप जनता के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, अब बदल गए हैं । क्या आप उन अधिकारों को छोड़ देने के लिये तैयार हैं ? सत्तारूढ़ होने के बाद आप वे दिन क्या भूल गए ? अपनी बात रखने के लिए तरह तरह के हथियार, जो एकतन्त्रीय युग में प्रचलित थे क्या आप उनको इस जनतन्त्रीय युग में दोहराना चाहते हैं । क्या उस वक्त का युग और आज का युग एक है ? क्या जो कानून उस वक्त लागू थे वे आज भी लागू होने चाहिये ? आपने एक दलील और दी है कि तीन महीने का पीरियड शेष है इसलिये आगे देखना चाहिये । मैं आपसे कहूंगा कि अगर कोई चीज बुरी है तो उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिये। आपको तो यह कदम आगे होकर उठाना चाहिये था कि जो कानून ब्रिटिश सरकार ने अधिकारों को छीनने के लिये लगाए थे उनको जनता के ऊपर हम नहीं लगा सकते । अगर आप जनता को यह कह देते तो हम भी समझते कि आप प्रगतिशील हैं और आपका कदम प्रगति की ओर है । अगर आप प्रगति नहीं कर रहे हैं और हम करें तो आपको हमे सहयोग देना चाहिये ? हमारे लिए कहा यही जाता है कि चूंकि आप ऑपोजिशन में बैठे हैं इसलिये हर चीज को अपोज करते हैं और सरकार की ओर से जो मांग इस कानून को पास करने के लिए भी रखी गई है, उसका विरोध करते हैं । मैं आपके सामने चुनौती पेश करता हूं ? क्या सरकार मेरी इस चुनौति को स्वीकार करेगी कि विरोधी पक्ष का सहयोग नहीं है? मैं आपको बताऊं कि आपोजिशन का सहयोग महज इस वजह से नहीं है कि आप कोई तथ्य की बात नहीं करते हैं । आप मनमानी करते हैं इसलिये हम सहयोग नहीं देते हैं । जनता के अधिकारों को बचाने के लिये हमें कम से कम ऐसा करना ही पड़ता है । क्या सत्तारूढ होने के बाद आपके अन्दर वह आग नहीं जलती है जो कि सन् ४२ में आपके दिल के अन्दर जला करती थी ? अगर उस वक्त में और इस वक्त में अन्तर पड़ता है तो आप खुद ही सोचिए । मैं तो समझता हूं कि केवल बात रखने के लिये ही आप ऐसा कर रहे हैं । आपके दिलों में भी शंका पैदा हो गई होगी. आपके दिलों में भी संदेह पैदा हो गया होगा । इस संदेह को मिटाने के लिए आप हमारी सच्ची बात का साथ दें जिससे जनता को राहत मिले ।

श्री चन्दनमल वैद–माननीय उपाध्यक्ष, दोनों तरफ़ से बड़ी जानदार, शानदार और आनन्ददायक बहस हुई । परन्तु बड़े अदब और नम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह सारी की सारी बहस बे मौके है । यह बहस उस समय हुई होती तो ठीक थी जब कि एसेन्शियल सर्विसेज मेन्टीनेन्स बिल आपके विचारार्थ प्रस्तुत होता । उस समय आप अपनी भावना को पूरा लैटीचूड देते, आज़ादी की कल्पना न्याय करने की जो कल्पना आप करते हैं वह उस समय शायद मोज़ू होती। इस समय तो लीगल पोइन्ट आपके सामने है । इसको ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है । माननीय जसवन्तसिंहजी के यह बात समझ में नहीं आई । मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं और वे जरा समझने की फिर कोशिश करें। इसमें क़ानूनी नुक्ता है जिसे समझने की कोशिश करें । जिस वक्त एसेन्शियल सर्विसेज मैन्टीनेन्स बिल विचारार्थ प्रस्तुत हो उस समय इन्डिविजुअल भावना की बात कीजिएगा ।

जब नंबर ३६,६८ तथा ८८ के क़ानूनों को Schedule पर रखा गया था तब यही सोचा गया था कि जल्दी ही Essential Services maintenance Bill, 19 2, पर सदन का

Page No.48

[श्री चन्दनमल वैद]

निर्णय हो जायगा और एन्सन्शियल सर्विसेज मैन्टिनेन्स बिल पास हो जायगा यानी उस पर निर्णय हो जायगा । उस समय तीन एक्ट जो अलग अलग रियासतों में हैं उनकी अलग अलग कोई जरूरत नहीं रहेगी। जल्दी निर्णय लेना हमारे हाथ की बात नहीं है क्योंकि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सरक्युलेट करने के लिये आपका ही मोशन था । वह बिल सरक्युलेट कर दिया गया है। जब तक सदन उस पर कोई निर्णय नहीं दे देता तब तक इन्डाइरेक्टली और बैकडोर से सदन द्वारा उस बिल पर दूसरे तरीक़े से कैसे निर्णय दिया जा सकता है ? जब डाइरेक्टली एक चीज सदन के सामने पेश है तो सदन उस पर विचार करके अपनी राय दे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सदन का निर्णय जो भी होगा सरकार उसका पूरा मान करेगी।

श्री चन्दनमल वैद (जारी)—अगर वह बिल पास होगया तो जो तीन एक्ट्स हैं वे रीपील होजावेंगे और अगर सदन ने उसको पास न भी किया तो भी वे रीपील हो जावेंगे एक माननीय सदस्य ने कहा कि इससे सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यह मैं जानता हूं कि सरकार की मंशा इस एक्ट को रख कर कोई फ़ायदा उठाने की नहीं है।

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १६)—सरकार को आर्थिक फ़ायदा नहीं होगा इसीलिये कहा।

श्री चन्दनमल वैद—मैंने सुना नहीं ज़रा फिर कहियेगा।

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १६)—सरकार को आर्थिक फ़ायदा नहीं होगा इसीलिये कहा।

श्री चन्दनमल वैद—मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि सरकार इनको रखकर कोई किसी तरह का फ़ायदा नहीं उठाना चाहती है। सदन के सम्मान का सवाल है, इज्जत का सवाल है,सरकार के फ़ायदे का सवाल नहीं है। जब दूसरी तरफ़ से पूरा बिल पेश है उस पर सदन का कोई निर्णय न ले तब तक उस पर दूसरा निर्णय एन्टिसीपेट नहीं करना चाहिए और सदन की इज्ज़त करना चाहिये। सवाल सदन की इज्ज़त का है, आप इस बात का ख़याल रखें। मैं आपकी भावनाओं की क़द्र करता हूं। इसमें जो क़ानूनी नुक़ता है उसको आप देखिये। जो स्थिति बनी हुई है उसको आप बनाए रखिये। पूरा का पूरा बिल जब पेश हो तो जरूर ताक़त के साथ उसका विरोध करिये। अतः मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ३९,६८ और ८८ नम्बर के आइटम जो आप रखना चाहते हैं उनके लिये जोर न दें।

श्री राजा हिम्मतसिंह—४६ के बाबत आपने कुछ नहीं बताया।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री विधि)—४६ जो सीरियल नम्बर है उसको बिल से नहीं हटाया जा रहा है। अलवर वाला आइटम है वह बिल में रहा है। वह भी रिपील हो रहा है।

राजा श्री हिम्मतसिंह—मेरी समझ में नहीं आया।

Page No.49

श्री उपाध्यक्ष—The question is that the Rajasthan Laws Repealing Bill, 1953 be passed.

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

राजस्थान धार्मिक भवन तथा स्थान विधेयक १९५

श्री उपाध्यक्ष—श्री भोगीलाल।

श्री भोगीलाल पंड्या—Sir, I beg to move that Bill to regulate the construction of public religious buildings and to restrict the use of public places for religious purposes, be taken into consideration.

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

जयपुर में हडताल इत्यादि के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव

श्री भेरूंसिंह (डि० नं० १६)—ऑन ए पोइन्ट ऑफ़ ऑर्डर, सर, आज जब मैंने अपना एडजोर्नमेन्ट मोशन रक्खा था तो माननीय अध्यक्ष ने ओवररूल करके सम्बन्धित मन्त्री महोदय से कहा था कि वह सदन में एक स्टेटमेन्ट इस बारे में दे। मैं समझता हूं कि ११ बज कर ३० मिनट हो चुके हैं और उन्हें स्टेटमेन्ट देने में क़रीब क़रीब एक घंटा तो लग ही जायगा। अतः वह स्टेटमेन्ट दिया जाय तो उपयुक्त होगा।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, विधि)—श्री अध्यक्ष महोदय ने फरमाया था कि वे देना चाहें तो दें इसलिये वे देना चाहेंगे तो दे देंगे।

श्री भेरूंसिंह (डि० नं० १६)—अध्यक्ष महोदय ने जैसा कहा उससे तो ऐसा ही लगता है कि वे ज़रूर देंगे।

श्री चन्दनमल वैद—तो आशा रखनी चाहिये।

राजस्थान धार्मिक भवन तथा स्थान विधेयक १९५३,

श्री माधोसिंह (भैंसवाडा)—I move an amendment that the Bill be referred to a Select Committee.

श्री उपाध्यक्ष—बिल के प्रिन्सिपल पर कोई वाद विवाद किया जाना हो तो किया जावे। सिलेक्ट कमेटी के रेफरेंस के लिए एक अमेन्डमेन्ट आया है और ऐसा मालूम होता है कि वह एग्रीड (agreed) है।

श्री भोगीलाल पंड्या (देवस्थान मंत्री)—जो मेरे माननीय मित्र ने सिलक्ट कमेटी को रैफर करने की बात कही है उसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री भेरूंसिंह (डि० नं० १६)—तो उस सिलेक्ट कमेटी के पर्सोनल्स के नाम दे दिये जावें।

श्री उपाध्यक्ष--चूंकि सिलेक्ट कमेटी को यह बिल रैफर किये जाने की बात गवर्नमेन्ट की तरफ से मन्जूर करली गई है इसलिए सवाल सिर्फ पर्सोनिल्स का रहता है। (विराम) नामों की सूची भी दोनों तरफ से एग्रीड पेश की गई है। इसलिए मैं उसे सदस्यों की अनुमति के लिए सुना रहा हूं :

१. शाह श्री अलीमुद्दीन	२. श्री मुहम्मद इब्राहीम
३. श्री सुगनचन्द	४. श्री रामरतन
५. श्री घीसीसिंह	६. श्री द्वारकादास पुरोहित
७. श्री हरिदेव जोशी	८. श्री रामकिशोर व्यास
९. श्री गुरुदयालसिंह सन्धु	१०. श्री रूपनारायण शास्त्री
११. श्री गणपतसिंह	१२. श्री जुंझारसिंह
१३. श्री प्रतापसिंह बीदासर	१४. श्री मोहब्बत सिंह
१५. श्री देवीसिंह	१६. श्री माधो सिंह वि० सं० १९
१७. श्री मानसिंह महार	१८. श्री प्रभुदयाल

१८ मेम्बर हैं।

क्या हाउस इस प्रस्ताव को एप्रूव करता है ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

राजस्थान मुद्रांक विधि (अन्तर्ग्रहण) संशोधन विधेयक, १९५३

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—Sir, I beg to move that a Bill further to amend the Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Act, 1952, be taken into consideration.

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इस बिल के सिलसिले में यह निवेदन करता हूं कि इसे पब्लिक ओपीनियन के लिए सक्युलेट कर दिया जावे।

इस विषय में यदि आज्ञा हो तो मैं दो शब्द भी कह दूं। सदन को यह भली भांति विदित है कि कुछ ही अरसे पहले हमने स्टाम्प एक्ट को अमेन्ड किया था। हमारे सामने उस पूरे एक्ट को देखते हुए एक मुश्किल नजर आई थी और उसको अमेन्ड किया था। वैसे तो स्टाम्प एक्ट करीबन साल भर पहले ही राजस्थान में इस रूप में लागू किया था।

इसके बाद अब उसमें यह अमेन्डमेन्ट इसलिए है कि राज्य की कुछ आय बढ़ाई जावे और आय बढ़ाने का तरीका यह अपनाया गया है कि इस कानून के तहत चूंकि तमाम खरीतों पर स्टाम्प ड्यूटी

[श्री जवानसिंह]

चस्पां करना जरूरी है इसलिए वह स्टाम्प ड्युटी जो पहले इस कानून के तहत में थी, उससे करीबन ड्योढी इस नये अमेंन्डमेन्ट के जरिये हो जावेगी ।

चूंकि इस बिल का ताल्लुक ज्यादातर उस जनता से है जिसकी सम्मति लेना बहुत ही आवश्यक है में यह जरूरी और आवश्यक समझता हूं कि यह बिल जनता के सामने ओपीनियन के लिए सर्कयुलेट कर दिया जावे ।

श्री भैरूसिंह (डि०नं०१६)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल आज सदन में जिस नियत से लाया गया है वह नियत इस बिल के स्टेटमेन्ट आफ ऑबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स से साफ मालूम होती है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि सरकार ने बोंड्स के सम्बन्ध में रेट्स बढ़ान के लिए यह बिल सदन में प्रस्तुत किया है और उन्होंने एक उद्धरण भी दिया है :

"These rates are in most cases on the same level as in the Punjab, but in respect of bends the rates of duty are much lower. It is considered desirable to raise the latter rates also to the Punjab level in the interest of uniformity as well as revenue. Hence the Bill."

अध्यक्ष महोदय मैं मानन य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से पंजाब का उदाहरण देकर उन्होंने रेट्स बढाने का प्रयत्न किया है यदि उसी तरह अगर आप 'ए' क्लास और 'बी' क्लास की ओर भी सभी स्टेटों को देखते तो रेट्स कहीं कम भी मिल सकती थी । पर आपको तो चूंकि महज रेट्स बढ़ाना था इसलिये पंजाब का हवाला देकर इस कानून की पूर्ति करने के लिए इसे सदन के सामने रख दिया है ।

यह चीज किसी से छिपी नहीं है कि राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में हमारी नैतिकता का पतन होता जा रहा है । यह किस किस तरह से हो रहा है इसकी विगत में मैं अभी नहीं जा रहा हूं । पर यह मानी हुई चीज है कि इस समाज का नैतिक पतन होता जा रहा है और इसके कारण मुकद्दमे बाज़ी भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है । सरकार आज इस नैतिक पतन के कारण होने वाली इस मुकद्दमे बाज़ी को रोकने का तो कोई प्रयत्न नहीं करती और न समाज की नैतिकता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये कुछ करना चाहती है, उल्टे इस नैतिक पतन के कारण होने वाली मुकद्दमे बाज़ी का लाभ उठाकर इस सरकार का, अपनी आमदनी किस तरह बढ़े इसकी ओर, ध्यान ज्यादा है । इसे चाहिये तो यह था कि नैतिक उत्थान का काम करती । पर इसे डर है । इससे मुकद्दमे बाज़ी कम होगी, केसेज़ कम होंगे । आज जनतन्त्र का दम भरने वाली और जनता की सही प्रतिनिधि होने का दम भरने वाली इस सरकार को चाहिये तो यह था कि यह अपनी आमदनी की भी परवाह नहीं करती, आमदनी कम हो या ज्यादा किन्तु जिस कानून से जनता का नैतिक उत्थान होता हो वही कानून इस सरकार को बनाने चाहिये ।

[श्री जवानसिंह]

यह भी मानी हुई बात है कि मुक़द्दमे बाज़ी अधिकतर ग़रीबों में होती है। मालदारों में भी होती है पर वे पैसा होने की वजह से घबराते नहीं। हमारे यहां मारवाड़ी में कहावत है कि मौत, मुक़द्दमा और मांदगी (बीमारी) ये तीन चीज़ें जिसके पीछे पड़ीं उसका तो दिवाला ही निकल गया और उसका कोई साथी हो सकता है तो ईश्वर की अनुकम्पा ही हो सकती है।

हमें ग़रीबों को भी ऊपर उठाना है, उनकी गिरी अवस्था को दूर करना है, पर अफसोस है कि आज मुक़द्दमेबाज़ी में ज्यादा ग़रीब ही शामिल हैं। अगर इस तरह के कानून से उन पर हमने ज्यादा बोझा डाला तो आज के इस विषम आर्थिक संकट के जमाने में उसकी कैसी हालत होगी इसको माननीय मंत्री महोदय अच्छी तरह समझलें।

मुक़द्दमे बाजी का असर उन लोगों पर ज्यादा होता है जो शहरी लोगों के मुक़ाबले ज्यादा ग़रीब होते हैं। देहाती लोग ज्यादा मुक़द्दमे बाज़ी के चक्कर में फंसे हुए हैं। शहर के लोग, मालदार लोग, और पूंजीपति लोग यदि कोई मुक़द्दमे बाज़ी में पड़ते हैं तो जो कुछ वह मुक़द्दमे बाज़ी में खर्च करते हैं वह एक तरह से उनका इनवेंस्टमैन्ट होता है,उसीसे वे फ़ायदा उठा लेते हैं। आज हर ग़रीब आदमी इस मुक़द्दमे बाज़ी से राहत चाहता है और चाहता है कि वह किसी तरह अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा उठावे। अगर मुक़द्दमे की फ़ीस में बढ़ोतरी की जायगी तो इस प्रकार जो रेट्स बढ़ेंगे उसका असर ग़रीब तबके पर ज्यादा पड़ेगा। आज कान्ग्रेस और अन्य जितनी भी राजनैतिक पार्टियां हैं उनका एक तरह का कार्यक्रम है कि वे लोग जो ग़रीब अवस्था में हैं उनको किसी न किसी तरह ऊंचा उठाया जाय। उनके उत्थान का मार्ग जब हम ढूंढ रहे हैं तो इस प्रकार रेट्स बढ़ाकर हम कभी भी ग़रीब जनता का उत्थान नहीं कर सकते। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस बिल को वापिस लेने का कष्ट करें, जो हमारे समाज और सदन के लिये शोभनीय चीज़ होगी।

श्री कानसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो हमारे सामने है उसके ओब्जेक्टस एन्ड रीजन्स को पढ़ने से यह पता चलता है कि सरकार की तरफ से रेट्स बढ़ाने की जो मन्शा है, वह इस प्रकार है:

"It is considered desirable to raise the latter rates also to the Punjab level'

हालांकि पंजाब में जो रेट्स लागू हैं वे रेट्स राजस्थान में भी लागू करने का सरकार का इरादा है, मैं इस सदन के सामने यह पेश करना चाहता हूं कि राजस्थान प्रान्त में और पंजाब प्रान्त में हालात एक से नहीं हैं। पंजाब में करीब करीब सब इलाका नहरी है। पंजाब और राजस्थान की भूमि में भी काफी अन्तर है। इसलिये जब कि पंजाब का सारा इलाका नहरी है और वहां की सारी जमीन उपजाऊ है तो उस इलाके के साथ साथ राजस्थान के इलाके की तुलना टैक्सेज के सिलसिले में करना, टैक्सेज को समान रूप से कायम करना मेरे खयाल में केनन्स ऑफ टैक्सेशन के भी खिलाफ पड़ता है। मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि ओब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में जो दलील दी गई है राजस्थान पर इसलिये थोपी जाय और इसे पंजाब के लेवल में लाई जाय, यह ठीक नहीं है। इसलिये यह जो एक्ट है मेरे लायक दोस्त श्री जवानसिंह जी ने जो यह कहा है कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्क्युलेट किया जाय

[श्री कानसिंह]

मैं भी उसका समर्थन करता हूं । जब तक पब्लिक ओपीनियन इस बिल पर न आ जाय इसको स्थगित रखा जाय ।

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १३)—माननीय अध्यक्ष, यह एक्ट जो पंजाब के लेवल पर यहां लगाया गया है उसके लिए वहां की आर्थिक स्थिति और यहां की आर्थिक स्थिति में बहुत अन्तर है । गरीबों की हालत ऐसी है कि वे इस स्टाम्प्स के रेट की बढोतरी को कभी एफोर्ड नहीं कर सकते । उदयपुर में भील क्षेत्र एक ऐसा एरिया है जहां मेवाड के टाइम में कोर्ट फीस भी नहीं ली जाती थी, उन लोगों को उस समय कोर्ट फीस भी देने की आवश्यकता नहीं थी । आज आपके रेट्स बढा देने पर उन लोगों पर भी यह चीज लागू होगी, जिसके द्वारा ट्रान्जेक्शन्स के लिए जो भी स्टाम्प्स लगेंगे वे भी ज्यादा होंगे । राजस्थान की हालत यह है कि यहां कोई बडी–बडी बिजनेस कम्पनियां तो हैं नहीं जहां कोई बडे ट्रान्जेक्शन्स होते हों । यहां तो सिर्फ छोटे–मोटे मकान या टूटे फूटे मकान या जमीन का ट्रान्जेक्शन होता है, वह भी जब कोई बडी आपत्ति में होता है तभी करता है, तभी वह अपने मकान या जमीन को बेचता है । अगर वे इस तरह से स्टाम्प्स में या मुकदमे बाजी में ही पैसा खर्च कर देंगे तो उनकी हालत खतरनाक हो जायगी । ऐसी परिस्थिति में हमारी राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें उस स्टेट की नकल नहीं करनी चाहिये जो हमारे यहां से आर्थिक स्थिति में अच्छी है । इसलिये यहां की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजने की मांग की गई है वह दुरुस्त है । मेरा भी यह निवेदन है कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्क्युलेट किया जाय । ऐसा होने पर ही वास्तविक स्थिति मालुम होगी । भील वर्ग से और अन्य वर्ग से मालूम होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है ? इस विषय में यहां पहले से ही जो टैक्स लागू हैं उनको देने में वे कितने समर्थ हैं और भविष्य में इस चीज को वे ठीक तरह से चला सकते हैं या नहीं, यह बात मालूम हो जायगी ।

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर साधारणतया कोई अमेन्डमेन्ट नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष—There is one amendment.

श्री भोलानाथ—अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव किया गया है कि इसको पब्लिक ओपीनियन (Public Opinion) के लिए सर्क्युलेट किया जाय । मैंने यह जो छोटा सा बिल रखा है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिससे पब्लिक को बडी भारी कठिनाई होने वाली है और किसी खास दिक्कत में जनता पड जाने वाली है और आम लोगों पर कोई खास असर पडने वाला है, जिसको पूरा नहीं कर सकेंगे । वह किसी कठिनाई में पड जायेंगे बिल के पास करने से, ऐसी बात जाहिर नहीं होती है । मुकद्में बाजों पर भार पडेगा शायद ऐसी बात कोई कानून में है नहीं, बल्कि यह है कि जो मामूली बोन्ड्स लिखे जाते हैं वह अच्छे कागज पर लिखे जाय, ठीक ढंग से लिखे जायं । भैरूंसिहजी खयाल करते हैं कि भीलों की काफी कठिनाइयां बढ जायेंगी, वैसी बात नहीं है, बल्कि कानून

[श्री भोलानाथ]

से पूरा फायदा मिले और जिस तरीके से लिखा-पढी हो वह अच्छे कागज पर लिखकर भेजें । इससे उन्हें मुकद्दमों में नहीं फंसना पडेगा या फीस बहुत बडी मात्रा में नहीं देनी पडती है । १०) रु० पर दो आना, तीन आना लेते हैं और अच्छे कागज पर लिख देते हैं और कोई खास कठिनाई नहीं पडती है, बल्कि एक अच्छे कागज पर लिखा जाय और ठीक ढंग से लिखा जाय । छोटे छोटे कागजों में कठिनाई होती है और देर होती है ।

जितनी फीस शिड्यूल (Schedule) में पेश की गई है वह पुरानी के मुकाबले में कहीं सवाई और कहीं ड्योढी है, लेकिन वह कोई इतनी ज्यादा तकलीफदेह नहीं है जिससे कि जो लेन-देन के किस्से में पडते हैं वह उसको बरदाश्त नहीं करेंगे और बहुत कठिनाई में हो जायेंगे ।

आप सभी महसूस करते हैं कि बजट में रेवेन्यू (revenue) के कुछ न कुछ जरिये निकालने चाहिए, और वह जरिये भी इसी प्रकार के हों कि वह आमतौर पर ज्यादा कठिनाई नहीं करने वाले हों । वह ऐसे होने चाहिये जिनको जनता बरदाश्त कर ले और आवश्यक बातों पर ही टैक्स लगायें, तो अच्छा रहता है । इसलिए यह सोचा गया था और यह जो इसका प्रस्ताव आपके सामने रखा है वह हमारा नहीं है, बल्कि भारत सरकार की स्टेट्स मिनिस्ट्री (States Ministry) के फाइनेंस के खास आदमी आये थे उन्होंने सुझाव दिया था कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आपको कुछ न कुछ टैक्स के नये जरिये तलाश करने चाहिए । वह सुझाव बाकायदा इकोनोमिक कमेटी (Economic Committee) में रखा गया और केबिनेट ने उसे ठीक समझा, तब आपके सामने पेश किया है । मैं समझता हूं कि उसमें ऐसी बात नहीं है कि पब्लिक को बडी भारी कठिनाई होने वाली है । जो आमतौर पर लेन-देन के किस्से में पडते हैं, उनके लिए २ आ. ४ आ० की क्या कीमत होगी, वह दे देंगे । जो स्थिति अभी देखने को मिलती है वह नहीं रहेगी, बल्कि कानूनी ढंग से उस चीज को ठीक कर लें, जो कि सुविधा की बात है । मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में आप इसको मन्जूर करने की कृपा करेंगे और आपने जो प्रस्ताव रखा है उसको वापस ले लेंगे ।

श्री अध्यक्ष (विरोधी दल से)—Do you withdraw it or press it?

श्री जसवन्तसिंह—(श्री भोलानाथ के पास विचार-विमर्श के हेतु जाते हुए) एक मिनट ।

श्री अध्यक्ष—It is not a big matter for meditation.

श्री राज हिम्मतसिंह (वि० संख्या ६१)—(श्री भोलानाथ के पास विचार विमर्श के हेतु जाते हुए). No, Sir, it is not a big matter for meditation, but there are some points to be consulted.

श्री जवानसिंह—मैंने जो एमेन्डमेंट (amendment) पेश किया था, मैं उसके सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं कि उसे मुझे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House that Shri Jawansingh may be allowed to withdraw his amendment.

(अनुमति प्रदान की गई)

Leave has been granted.

श्री जवानसिंह—मैं अपना एमेन्डमेंट वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष—So the question is that the Bill be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The motion has been adopted.

श्री भोलानाथ—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल को पास किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि "राजस्थान स्टाम्प लॉ (एडेप्टेशन) एमेंडमेंट बिल, १९५३, [The Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Amendment Bill, 1953.] पास किया जाय ।"

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

जयपुर नगरपालिका को सरकार द्वारा भंग करने के सबन्ध में श्री रामकरण जोशी, मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, का वक्तव्य ।

श्री अध्यक्ष—Now Shri Ramkaran Joshi will make a statement.

श्री रामकरण जोशी—माननीय अध्यक्ष, जयपुर म्युनिसिपैलिटी के तारीख ३ सितम्बर के प्रस्ताव के बारे में सदन में चर्चा आई और उसका सस्पेन्शन (Suspension) हुआ, उसके बारे में बहस के लिए भी टाइम चाहा गया । मैं आपके इस आदेश से सहमत हूं कि किसी म्युनिसिपल बोर्ड के रिजोल्यूशन (Resolution) के सस्पेन्शन (Suspension) पर विचार करना और किसी म्युनिसिपल बोर्ड के सुपरसेशन (Supe s n) पर विचार करना, यह इस सदन का काम नहीं है और वह इतने पब्लिक इम्पार्टेंस (l importance) का मामला नहीं है जितना उससे मिला हुआ, संबंधित जयपुर शहर में ५ दिन से चली आ रही परिस्थिति पर था । उस पर परसों काफी चर्चा हो चुकी है और उस चर्चा के बाद यह बात स्पष्ट थी कि यह प्रदर्शन जो कुछ भी हो रहा है वह सब ठीक नहीं है, अनुचित है । ऐसी परिस्थिति के दबाव में आकर कल जिस गैरकानूनी ढंग से जयपुर म्युनिसिपैलिटी ने एक अपना प्रस्ताव पास किया वह अवैधानिक था और इसी वजह से उसका सस्पेन्शन किया गया । वह इस मायने में अवैधानिक था । जयपुर म्युनिसिपल एक्ट की ६३वीं धारा के अनुसार जब जयपुर म्युनिसिपैलिटी कोई टैक्स इम्पोज (impose) करेगी तो उसको इन शरायतों में से होकर निकलना पड़ेगा और गवर्नमेंट की सेन्क्शन (sanction) लेना जरूरी होगा । इसी तरीके से उसी दफा में यह भी है कि जब किसी टैक्स के इम्पोजिशन

[श्री रामकरण जोशी]

(imposition) का सस्पेन्शन करना पडेगा तो भी गवर्नमेंट की प्रीवियस सेन्क्शन (previous sanction) लेना जरूरी हैं। तो उसकी वसूली तो बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के वसूली के, सस्पेन्शन का रिजोल्यूशन अवैधानिक हैं ।

दूसरी बात यह है कि उसी एक्ट के अनुसार उसकी ४२ वीं दफा के मुताबिक म्युनिसिपैलिटी जब किसी मुद्दे पर विचार करने बैठेंगी तो उसका एक एजेन्डा मैम्बरों को दिया जायगा और उसमें भी यह हैं कि किसी रिजोल्युशन के बारे में जो कि म्युनिसिपैलिटी ने पास किया हैं, उस रिजोल्युशन पर पुर्नविचार किया जाय, या एमेंडमेंट (amendment) किया जाय तथा कोई भी मोडिफिकेशन (modification) किया जाय तो उसके बारे में उस नोटिस के अन्दर वह साफ दिया जायगा कि उस रिजोल्युशन के संबंध में अब हम यह मोडिफिकेशन कर रहे हैं ।

इस प्रकार का नोटिस भी म्युनिसिपल बोर्ड ने नहीं दिया । इस बात से यह पता चलता है कि यह मीटिंग जो हुई वह सब किस परिस्थिति में, किस दबाव में आकर, बिना सोचे समझे किसी बात का फैसला करने के लिए हुई । इस फैसले का असर राजस्थान के और नगरों पर जो पडता है वह अच्छा नहीं पडता, इस बात को हर एक आदमी महसूस करता है । मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं कि रात को १२ बजे एक मीटिंग की गई। उसमें फैसला करके एक रिजोल्युशन पास किया गया और उसकी एक कॉपी प्रेस को दी, उसमें जयपुर की हडताल को यानी पांच दिनों की हडताल की सराहना की गई, जो कुछ भी प्रदर्शन हुआ उसकी सराहना की गई और जो टेक्सेशन का विरोध किया गया उसकी सराहना की गई और यह बात कही गई कि इस प्रश्न में जनता की जीत हो गई, हमारी जीत हो गई और म्युनिसिपैलिटी ने इस कर को स्थगित कर दिया । और अब हमें यह प्रेशर डालना पडेगा कि सरकार का जो एडेमेन्ट रुख है उसे बदल कर इसी तरह के रुख को अख्तियार करे और म्युनिसिपैलिटी ने जो पुर्नविचार की मोहलत मांगी है उस पर यह प्रेशर डालना चाहिये कि अब किसी भी प्रकार का टैक्स न लगाया जाय । जयपुर में जो वातावरण पैदा हो गया है उस पर सारे राजस्थान की दूसरी म्युनिसिपैलिटीज की नजर पड सकती है । उसको देखते हुए यह बात कभी गवारा नहीं की जा सकती । इस प्रकार का रिजोल्युशन गैरवाजिब तरीके से, बिना नोटिस के पास किया जाना बिल्कुल अवांछित था। इसका असर दूसरी ३२लाख अरबन पोपुलेशन पर पडे बिना नहीं रह सकता, जिसका असर एक ही नहीं बल्कि १६० म्युनिसिपैलिटियों पर पडने वाला है, इसका असर लोगों पर यह होता है कि हुलिगेनज्म और गुंडागिरी से वाजिब बातें भी टाली जा सकती हैं । इस तरह की भावना आम लोगों में पैदा करके शान्तिप्रिय लोगों के दिलों में डर पैदा करना हैं । फिर तो शान्तिप्रिय लोगों की कोई कीमत नहीं । चाहे जैसा दुर्व्यवहार किया जाय यह बात उन लोगों के दिमाग में ठेस पैदा करने वाली होगी। यह बात देखते हुए, म्युनिसिपैलिटी के पुराने चढ़े हुए काम को देखते हुए जिसमें कि २० लाख से ज्यादा रकम बिजली और पानी चार्जेज नहीं चुका पाई हैं, इसके साथ ही महतरों और दूसरे स्टाफ की तनख्वाह ५० हजार रुपया उधार लेकर चुका पाई है: इन सब बातों को देखकर और इस बात को महसूस करते हुए कि राजस्थान और भारत की जितनी म्युनिसिपैलिटियां हैं उनको करों के रूप में कुछ न कुछ रकम मिलती ही है और उसके बदले में म्युनिसिपैलिटी की सेवाएं मिलती हैं, यह सब देखते हुए इस

[रामकरण जोशी]

म्युनिसिपैलिटी को सस्पेन्ड करना पड़ा। यहां का ट्रेडिशन यह रहा है कि यहां के लोगों ने एक पैसा भी कभी कर के रूप में नहीं दिया। माफ कीजियेगा, आप कहेंगे कि १ रु० २ आ० ९ पा० टैक्स के रूप में कहां से आता है? मैंने सीधा सवाल कुछ मित्रों से किया जो मुझसे मिलने आये थे कि आपके मकानों के सामने से रोजाना कचरा मेहतर उठाकर ले जाता है उसके बदले में म्युनिसिपैलिटी के खजाने में आपने क्या सहायता दी? उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। मुफ्त में सेवा लेना, पैसा न देना, खिलाफ प्रचार करना, म्युनिसिपैलिटी के कायदे-कानून को नजर अंदाज करते हुए इस तरह का डिसीजन लेना, गलती थी। इसलिये में यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे इल्लीगल या अवैधानिक रिज़ोल्युशन को कैसे सहन किया जा सकता है? क्या ऐसी म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड नहीं करना चाहिये जो अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकती, मजदूरों और भंगियों को वेतन नहीं दे सकती, बिजली और पानी की रकम नहीं चुका सकती, कई मौके दिये जाने पर भी टालते जाना, कोई टैक्स नहीं लगाना और कोई आमदनी नहीं करना और अच्छी तरह से काम करने की क्षमता नहीं रखना, यह स्पष्ट करता है कि उसमें कार्य-क्षमता नहीं थी: इसलिये इस म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड करना पड़ा।

श्री भैरूंसिंह (१९)--माननीय मंत्री जी ने अपने स्टेटमेन्ट में कुछ जानकारी जानने की इच्छा प्रगट की है। एडजोर्नमेन्ट मोशन एडमिट नहीं होने के कारण में पहले कुछ नहीं कह सका।

श्री अध्यक्ष--क्या आप जानकारी देना चाहते हैं? उसे यदि अपने पास रखेंगे तो ठीक होगा।

श्री भैरूंसिंह--नहीं, मैं उन्हें भी कुछ जानकारी देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-- Order, ! Order ! !!

सदन का कार्य आज का लगभग समाप्त हो चुका है। आज का ही नहीं बल्कि ७ तारीख तक का कार्य समाप्त हो चुका है। यदि गवर्नमेन्ट काम देगी तो और होगा। फिर भी हम ७ तारीख को मिलेंगे।

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर ५ मिनट पर सोमवार दिनांक ७-९-५३ को प्रातःकाल ८-३० बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक--४ सितम्बर १९५३

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ३४ का उत्तर देखिये)

List of buildings in Abu belonging to the Rulers of the Covenanting States and to the Rajasthan Government.

S.No.	*Name of the State.*	*Description of property.*	*State.*	*Private.*
1.	Alwar.	(1) Jey Vilas Palace.		Personal.
		(2) Old Alwar House.	State	
2.	Bikaner.	(3) Bikaner House and land adjacent to it.		Private.
		(4) Houses in Abu town.		Private.
3.	Bharatpur.	(5) One House.		Personal.
		(6) One House. (Grainge Kothi)	State	
4.	Bundi.	(7) Bundi Cottage.		Personal.
5.	Dholpur.	(8) Dholpur House.		Since the private properties of H.H. Dholpur have not been settled no final decision has been taken about this House.
6.	Jaipur.	(9) Jaipur House.		Personal.
7	Jaisalmer.	(10) Jaisalmer House.		Personal
8.	Jodhpur.	(11) Jodhpur House.		Personal.
		(12) Lake House.		Personal.
		(13) Connaught House.		Personal.
		(14) Jenning House.	State.	
		(15) Vakalat House.	State.	
9.	Kishengarh	(16) Kishengarh House.		Personal.
		(17) Vakalat House.	State.	
10.	Kotah.	(18) Nunthrope House.	State.	
11.	Sirohi.	(19) Kesarbhawan Kothi.		Personal.
		(20) Sarup Bhawan.		Personal.
12.	Udaipur.	(21) Plot of land.	State.	

Page No.59

परिशिष्ट २

वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित सदस्य की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनको प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुमति है।

प्रश्न संख्या ३६

श्री हरिकृष्ण व्यास.—Will the Minister for Finance be pleased to answer:—

(a) Is it a fact that three banks of Rajasthan, *viz.*, the Bank of Jaipur Ltd., the Bank of Bikaner Ltd., and the Bank of Rajasthan Ltd., are proposed to be amalgamated ?

(b) Has any Committee been appointed for the purpose ?

(c) Have the representatives of the Bank employees been included in the Committee ?

(d) Has the Rajasthan Bank Employees Union submitted any demand in this connection ?

(e) Is the Government aware that this amalgamation is of vital concern for the interests of the Bank employees ?

(f) What does the Government propose to do to safeguard the interests of the Bank employees ?

उत्तर—

(a) Yes.

The Secretary of the Union has been advised that the proper course for the Union to follow would be to place the case of the employees which it represents before the authorities of the 3 banks concerned for due consideration nearer the time when the various problems connected with the proposed amalgamation are likely to be worked out.

(b) No.

(c) Question does not arise.

(d) Yes.

(e) Yes.

प्रश्न संख्या ३७

श्री हरिकृष्ण व्यास.—Will the Minister for Commerce Industries be pleased to answer:—

(*a*) Is it a fact that under the Shastri Ministry the Municipal Board was authorised to enforce the Weekly Holidays Act, in Bharatpur ?

(*b*) Is it a fact that now there is no authority to enforce this Act there ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(c) Is it a fact that the Government have made promises for its enforcement and for authorising the Tehsildar for this purpose ?

(d) Has the promise been fulfilled ? If not, Why not ?

उत्तर

(a) No.

(b) No.

(c) & (d) The Tehsildars have already been appointed as Inspectors in the District to enforce the provisions of the Weekly Holidays Act.

प्रश्न संख्या ३८

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Home Minister be pleased to answer:—

(a) Is it a fact that Sheoganj Eri pura has been created as Head Quarters of a Deputy Superintendent ?

(b) Is it a fact that till now there was always a Dy. Supdt. in Sirohi, but this Head Quarters was not at Sheoganj-Erinpura ?

(c) Is it a fact that the present Dy. Supdt. has been posted here on medical grounds for six months only ?

(d) Is it a fact that the former Dy. Supdts. were never given an independent vehicle, whereas the present Dy. Supdt. has given one ?

(e) Is it a fact that the present Dy. Supdt. is a resident of village Paladi, which is only ten miles away from this temporarily created Head Quarters ?

(f) Has all this been done to accommodate the Dy. Supdt. Shri Hirachand Parmer ?

उत्तर

(अ) डिप्टी सुपरिन्टेण्डेण्ट का हैड क्वार्टर अस्थाई रूप से एरिनपुरा में रखा गया था अब हैड क्वार्टर वापिस सिरोही कर दिया गया है ।

(ब) हां, स्थाई तैनाती डिप्टी सुपरिन्टेण्डेण्ट पुलिस की सिरोही में ही थी और हैं अस्थाई रूप से हैड क्वार्टर कुछ समय के लिये एरिनपुरा रखा गया था।

(स) नहीं यह सही नहीं है इनकी तैनाती शासन के कारणों से कुछ काल तक के लिये की गई थी जब तक कि शान्ति कायम रखने के लिये वहां ऐसी आवश्यकता थी ।

(द) प्रत्येक गजटेड अफसर को दौरे के लिये मोटर की सवारी की आवश्यकता है जब तक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब का हैड क्वार्टर सिरोही में था वे मोटर की सवारी आवश्यकतानुसार पुलिस लाइन से ले लिया करते थे हैड क्वार्टर अस्थाई रूप से एरिनपुरा रखने पर यह प्रबंध

अधिक खर्चीला पड़ता था इस कारण एक मोटर की सवारी अस्थाई रूप से राजकीय कार्य के लिये तैनात कर दी गई थी ।

(ई) हां ।

(फ) नहीं, ये सुविधायें उचित राजकीय कार्य के हेतु दी गई थी :

प्रश्न संख्या ४०

श्री हरिकृष्ण व्यास--Will the Home Minister be pleased to answer:—

(*a*) Is it a fact that Shri Om Prakash S.P. till now at Udaipur has recently been transferred to Dungarpur ?

(*b*) Is it a fact that there are plenty of allegations of bribery against this S.P. ?

(*c*) Is the Government aware that he demanded a bribe of Rs. 10,000/- from the Thakur of Rupnagar ?

(*d*) Is the Government aware that this S.P. has amassed a fortune to the tune of lakhs during the last one year ?

(*e*) Will the Government consider ordering a proper enquiry into the matter ?

उत्तर

(ए) हां ।

(बी) नहीं ।

(सी) नहीं ।

(डी) नहीं ।

(ई) प्रश्न नहीं उठता ।